

GAWAHI

Written by : Allama Syed Abdullah tariq

Uploaded by : [Http://sanatandharmaurislam.blogspot.com](http://sanatandharmaurislam.blogspot.com)

Youtube : [Http://youtube.com/deenkidawat](http://youtube.com/deenkidawat)

Blog : [Http://faizanbhai.blogspot.com](http://faizanbhai.blogspot.com)



प्रकाशक :

रौशनी पब्लिशिंग हाउस

बाजार नसरुल्लाह खां, रामपुर - 244 901 (यू.पी.)

कुरआन पर शंकाओं का समधान

गवाही



सैयद अब्दुल्लाह तारिक़

A

उस परमेश्वर के नाम से जो अत्यन्त दयावान व कृपावान है

गवाही

(कुरआन शरीफ पर शंकाओं का समाधान)

एस० अब्दुल्लाह तारिक़

प्रकाशन

रौशानी पब्लिशिंग हाउस
बाजार नसरुल्लाह खाँ, रामपुर – 244901 – (यू०पी०)

पहली बार..... जनवरी 1990
मूल्य..... रु० 6.00

पृष्ठ भूमि

साप्ताहिक पत्रिका (सहकारी युग) रामपुर के प्रकाशन दिनाँक 15 अगस्त 1990 में प्रकाशित रघुवीर सरन दिवाकर राही एडवोकेट के लेख "वेद से कुरआन तक का सफर" के फलस्वरूप विरोध की एक लहर उठी और रामपुर नगर के अधिकतर मुसलमानों को अपनी लपेट में ले लिया। लेख में इस्लाम के अन्तिम पैगम्बर (ईशा दूत) हज़रत मुहम्मद स0 के ईशा दूत होने तथा कुरआन शरीफ के ईशा वाणी होने के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किये गये थे।

इस दुर्घटना का सबसे दुःखद भाग यह है कि जहाँ एक ओर अधिकतर मुसलमान अपने शोक व क्रोध पर नियन्त्रण रख सकने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, नगर की हिन्दू जनसंख्या के अत्यधिक सुलझे हुये सदस्य भी यह समझ सकने में असमर्थ हैं कि उक्त लेख में मुसलमानों की भावनाओं को उत्तेजित कर देने जैसी क्या चीज़ थी। कारण यह है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों दर्गाएँ के अपने-अपने यहाँ धर्म पर समालोचना के मापदण्ड अलग-अलग हैं। जहाँ एक हिन्दू इस सम्बन्ध में इतना सहनशील है कि कठोर से कठोर विवेचना भी उसे असन्तुलित नहीं करती वहीं मुसलमान इस सन्दर्भ में उतना ही रक्षात्मक दृष्टिकोण रखता है कि अपनी निर्धारित सीमाओं के उल्लंघन की अनुमति किसी को भी देना नहीं चाहता।

मेरे विचार में इस समस्या का समाधान यह है कि मुसलमानों को अपनी धर्म – विवेचन सम्बन्धी सीमाओं को निश्चित करने में अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और अपने हिन्दू भाईयों को यह समझा देना चाहिये कि वे (मुसलमान) अपने धर्म के प्रति प्रश्नों का स्वागत करते हैं, आपत्ति से उन्हें दुख होता है परन्तु वे संयम रखते हुये उसके तर्क संगत उत्तरों द्वारा उसे दूर

करने का मार्ग अपनाते हैं जबकि कुरआन या पैगम्बरे कुरआन पर किसी प्रकार की आलोचना को वह सहन नहीं कर सकते और शान्तिपूर्ण विरोध का हर वह मार्ग अपनाते हैं जो संवैधानिक हो।

मैं समझता हूँ कि श्री दिवाकर राही के लेख का आकार मूलतः “आपत्ति” वाली श्रेणी का है और इसलिए 11 सितम्बर 1990 को उनके नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट से रिहाई के पहले ही दिन उनकी आपत्तियों का उत्तर उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया।

आगामी पन्नों में उक्त उत्तर का हिन्दी अनुवाद मामूली संशोधन के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। ताकि उन सभी हिन्दू मुस्लिम भाईयों तक कुरआन का प्रत्युत्तर भी पहुँच सके जिन्होंने श्री दिवाकर राही की आपत्तियों का अध्ययन किया था।

मेरे उद्दू लेख के हिन्दी रूपान्तर में मेरे जिन सहयोगियों का अमूल्य योगदान है मैं उनके लिए ईश्वर के समक्ष प्रार्थी हूँ कि उनके प्रयास को स्वीकार करें।

एस० अब्दुल्लाह तारिक

गवाही

श्रीमान दिवाकर राही साहब,

सहकारी युग 15 अगस्त 1990 में आपका लेख “वेद से कुरआन तक का सफर” काफी देर से पढ़ने को मिला। क्योंकि मेरी जानकारी में कोई विद्वतापूर्ण जवाब अभी तक आपको नहीं दिया गया है इसलिए यह साहस कर रहा हूँ। यद्यपि आपने अपने लेख में वेद का भी औपचारिक रूप में नाम लिया है, परन्तु मूल रूप में पूर्ण लेख कुरआन और रसूले कुरआन के गिर्द धूम रहा है। अतः मैं भी आपको उत्तरों के लिए केवल उन्हीं तक सीमित रखूँगा। उत्तर लिखने से पूर्व आपकी आपत्तियों की सूची बनाई तो वह आशा से अधिक लम्बी निकली जिसके पूर्ण और विस्तृत उत्तर के लिए तो पूरी एक पुस्तक की आवश्यकता होगी, अतः मैं सीमा भर प्रयास कर रहा हूँ कि विस्तृत वाद-विवाद के बजाये संक्षेप में उत्तर दे सकूँ।

आपत्ति : ईश्वर या खुदा आदे ब्रह्माण्ड का स्वामी है, सृष्टिकर्ता है, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है तथा सर्वज्ञ है तो फिर यह समझ में नहीं आता कि आखिर वह इतना मजबूत क्यों है कि वह अपना पैग्राम देने के लिए अपने ही द्वारा बनाये हुए इब्नान का सहाया ले अथवा उसके माध्यम से ही अपनी किताब अपने बन्दों तक पहुँचा सके, स्वयं कोई ऐसा तटीका इक्षियार न कर सके जिससे वह सीधे बन्दों के हृदय तक अपना सन्देश पहुँचा सके? वह क्यों किसी विशेष व्यक्ति को यह उत्तरदायित्व सौंपे कि वह दूसरों को यह बताये कि खुदा ने उसके जुटिये क्या कहलाया है
मैं नहीं मानता कि अगर खुदा है और ऐसा ही है जैसा इस्लाम कहता है तथा

अन्य धर्म भी कहते हैं तो वह इतना असहाय नहीं हो सकता।

उत्तर : आपकी आपत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी पैगम्बरवाद (ईशदूतत्व) का इन्कार करने वालों की पृथ्वी पर मौजूदगी। कुरआन ने हमें बताया कि पिछले ईशदूतों को न मानने वाले भी उनके काल में यह आपत्ति (ऐतराज़) किया करते थे कि यह कैसा पैगम्बर है, यह तो (खाता, पीता और चलता, फिरता) हमारी ही तरह का एक इन्सान है। आपने अपने लेख में किसी जगह यह नहीं कहा कि आप ईश्वर को उसके उन सारे गुणों के साथ खुदा नहीं मानते जिनका आपने वर्णन किया है और जो विश्व के क्रीब-क्रीब सभी धर्मों की मान्यता का भाग है, अगर ऐसा होता तो आप सीधे ईश्वर और ईश्वरीय गुणों के इन्कार पर लेख लिख देते, कुरआन, रिसालत और हज़रत मुहम्मद स 0 के विषय में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अतः मैं यह मानकर उत्तर दे रहा हूँ कि आप खुदा की खुदाई को उसी तरह स्वीकार करते हैं जिस तरह संसार के अधिकार धर्म मानते हैं और उसे सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिमान के साथ-साथ सर्वनियामक भी मानते हैं।

आपके ऐतराज का यह ढंग विचित्र है कि ईश्वर ने अगर किसी इन्सान को दूत बनाया तो आप ईश्वर को असहाय कह रहे हैं, मानो वह कोई और ढंग इस्तियार कर ही नहीं सकता था। इस तर्क शौली पर तो आप यह सवाल भी उठा सकते हैं कि ईश्वर ने बच्चे के पालन पोषण के लिए अपने द्वारा बनाई हुई स्त्री का सहारा क्यों लिया? क्या ईश्वर बच्चे को जन्म से ही चलना, फिरना, खाना, पीना, सिखा देने से मजबूर था? और इस प्रकार के अनेकों प्रश्न कर सकते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य का पेट भरने के लिये मनुष्य ही के उन हाथों का सहारा क्यों लिया जो स्वयं ईश्वर ने उस प्रदान किये हैं? क्या ईश्वर इतना असहाय था कि बिना हाथ हिलाये पेट नहीं भर सकता था? सकने या न सकने का यहाँ क्या प्रश्न है। स्पष्ट शब्दों में यूँ कहिए कि ईश्वर ने

आपकी बुद्धि के अनुसार ब्रह्माण्ड का प्रबन्ध किया होता तो आप ऐतराज नहीं करते।

संसार में मनुष्य को पैदा करने तथा अच्छे बुरे कार्य करने की आजादी देने के बाद यह तो आप भी मानते हैं कि ईश्वर को अपने बन्दों के मार्ग-दर्शन का प्रबन्ध करना चाहिये था, यद्यपि आपने इसके लिये यह प्रस्ताव रखा है कि वह उनके मन में सीधे अपना सन्देश उतार देता। बेशक ईश्वर इस की क्षमता रखता था और रखता है परन्तु इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि फिर हर मनुष्य आकर अपना-अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता कि ईश्वर ने उसके मन में यह विचार डाला है। कर्मक्षेत्र में स्वतन्त्रता मिलने के बाद सीधे ईश्वर की ओर से मन में सही मार्ग का अवतरण होना इस की गारन्टी नहीं बन सकता कि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यह बात स्पष्ट रहे कि ईश्वर ने अपने बन्दों के मार्गदर्शन का प्रबंध हर क्षेत्र में किया है। उन्हें एक सम्पूर्ण जीवन संविधान दिया है। अब अगर वह कोई एक कसौटी या प्रामाणिक पुरुष को नामांकित करने के बजाये प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति के मन में यह बात डालता तो हर नास्तिक यह दावा कर सकता था कि ईश्वर का दिया हुआ विधान वह प्रस्तुत कर रहा है। एक व्यक्ति यह दावा कर सकता था कि ईश्वर ने चोर का हाथ काटने का आदेश दिया है, दूसरा कह सकता था नहीं, जोल में डाल देने का आदेश दिया है। चोर के सम्बन्धी यह कहते कि डांट डपट कर छोड़ देने का आदेश है, और स्वयं चोर यह दावा कर सकता था कि स्वयं ईश्वर ने उसके मन में चोरी करने का विचार डाला था और वह चोरी ईश्वर की नीति के अनुसार कर रहा है, अतः बजाये दण्ड के पुरुस्कार का हकदार ठहरा। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यप्रणाली पर आश्चर्य होता है। इससे बेहतर तो शायद यह होता कि ईश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आता। परन्तु उस स्थिति में ईश्वर के न मानने वाले यह ऐतराज कर सकते थे कि सद्मार्ग के लिए जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और जिसे त्याग की आवश्यकता होती है, उसको हे स्वामी,

आपने तो सहन कर लिया इसलिए कि आप मनुष्य के रूप में थे, परन्तु मानव नहीं थे। आपका बताया हुआ सच्चाई का तरीका अच्छा और अनुकरणीय है परन्तु व्यवहारिक नहीं है। इस लिए ईश्वर ने हर काल में अपने सन्देश को अपने बन्दों तक पहुँचाने के लिये मनुष्यों का चयन किया जिन्होंने न केवल सन्देश पहुँचाया बल्कि स्वयं साक्षात् आदर्श बने। इस आपत्ति का समाधान हो जाने पर पैगम्बरवाद के न मानने वाले यह सवाल करने लगते हैं कि पैगम्बरवाद के किसी दावेदार की सच्चाई को कैसे जानें? इस आपत्ति का उत्तर आपके अगले ऐतराज़ के सन्दर्भ में प्रस्तुत है।

आपत्ति : आखिर वह विशेष व्यक्ति या पैगम्बर जो दूसरों से कहेगा वह उसकी सुनी हुई बात होगी जो अब सबके लिए सुने हुये (Hear-Say) के दर्जे का ही अप्रमाणित साक्ष्य होगा। वह सन्देश वेदों के लिए खुदा का कहा हुआ नहीं बल्कि उस विशेष व्यक्ति का कहा हुआ ही होगा जो यह कहता है कि ईश्वर या खुदा ने उससे ऐसा कहा था ऐसी गवाही कानून की नज़र में घटिया गवाही है। क्या जमानत है इस बात की कि मुहम्मद साहब खुदा के पैगम्बर हैं? केवल मुहम्मद साहब का अपना बयान, बुद्धि विवेक की नज़दों में ठोस साबूत नहीं माना जा सकता। किसी ने न परिश्टेआते हुये और मुहम्मद साहब को आयते सुनाते या पैगम्बर देते देखे, न अब कोई प्रमाण है इस श्रद्धा-जन्म धारणा के पक्ष में।

उत्तर : जहाँ तक कानूनी प्रमाण का सम्बन्ध है, प्रमाण तो उस दशा में भी नहीं हो सकता जिसका आपने प्रस्ताव रखा है। एक व्यक्ति कहता कि मेरे मन में ईश्वर ने यह डाला है कि गुरीबों की सहायता करो, दूसरा यह कह सकता था कि नहीं, ईश्वर की इच्छा है कि हर कोई अपनी मेहनत की कमाई खाये, दूसरों को दान देकर उसे निकम्मा न बनाये। क्या प्रमाण होता इस बात का

कि पहला व्यक्ति ठीक कह रहा था सिवाये इसके कि दूसरा व्यक्ति अपने मन में यह मानता कि प्रथम व्यक्ति सच्चा था? लेकिन मन के अन्दर से किसी सच्चाई को स्वीकार करने के बाद कोई जबान से इन्कार करे तो प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसे ही कानूनी प्रमाण कहते हैं। कातिल जब कृत्त्व से इनकार करता है तो वह अपने मन में यह जानता है कि वह झूठा है। न्याय प्रमाण चाहता है। कानून की शब्दावली में एक चीज़ होती है परिस्थिति मूलक साक्ष्य (Circumstantial evidence)।

अब देखिये! मानव इतिहास के सबसे अन्धकारमय युग में अपने समय की सबसे अधिक भटकी हुई कौम में एक बच्चा पैदा होता है। अपनी आयु की 40 मन्जिलें तय करने तक किसी एक भी छोटी से छोटी बुराई में शामिल नहीं होता। उसने 40 वर्ष में कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का अधिकार हनन नहीं किया, कभी किसी की अमानत में हैराफेरी नहीं की। उसकी कौम उसको 'अल-अमीन' (धरोहरधारी) और 'अस्सादिक' (सदा सत्यवादी) की उपाधि देती है।

वह 40 वर्ष की आयु में अचानक यह घोषणा करता है कि ईश्वर ने उसको दूत बनाया है। उसने खुदाई का दावा नहीं किया, ईश्वर का पुत्र होने का दावा नहीं किया, बल्कि अपने आपको ईश्वर का बन्दा व दास कहा और यह कहा कि ईश्वर ने मनुष्य के मार्ग-दर्शन के लिये उसके पास सन्देश भेजा है। इस घोषणा के बाद वह जो कौम की आँखों का तारा था, उनके क्रोध का पात्र हो गया। उसके आहवान से उनकी सभी आस्थाओं व कुकमों के महल टूट रहे थे। उसके सामने प्रस्ताव रखा गया कि वह चाहे तो उसको कौम का सरदार बना दिया जाये। वह जबान से निकाले तो अरब की सुन्दर से सुन्दर युवतियाँ उसके चरणों में डाल दी जायें। वह कहे तो उसके टूटे फूटे घर पर धन का ढेर लगा दिया जाये, लेकिन वह अपने धर्म

प्रचार से बाज़ आजाये। उसके बूढ़े संरक्षक चाचा से उस पर जोर डलवाया गया तो वह व्यक्ति उत्तर देता है कि "खुदा की कसम चाचा जी, अगर यह लोग मेरे एक हाथ पर सूर्य और एक हाथ पर चन्द्रमा भी लाकर रख दें तब भी अपने सन्देश से विचलित नहीं हो सकता"।

उसके और उसके साथियों पर अत्याचार व दमन का दौर शुरू होता है। ढाई वर्ष तक उसकी और उसके परिवार वालों की ऐसी आर्थिक नाकाबन्दी होती है कि वृक्षों की छालें खा—खाकर गुजारा होता है। मगर वह कहता है कि वह तो ईशदूत है और ईश्वर के सन्देश से हटना उसके लिये संभव नहीं है। उसके साथियों को अरब की जलती रेत पर नंगे शरीर लिटा कर गले में रस्सी डाल कर खींचा जाता है। उसके मानने वालों को चटाई में लपेट कर धुएं की धूनी दी जाती है। उसके आहवान का समर्थन करने वालों को नंगी पीठ अंगारों पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता है यहाँ तक कि शरीर की चर्बी से अंगारे बुझते हैं। उसकी आवाज़ का साथ देने वाली बूढ़ी स्त्री को क्रूरता से भाला मारकर शहीद किया जाता है। वह अपने मुट्ठी भर मतवालों की दर्दनाक कराहें सुनता है, लेकिन वह यही कहता है कि वह ईश्वर का ही दूत है। वह जिस मार्ग से गुजरता है उस पर काँटे बिछाये जाते हैं। उसको इतने पत्थर मारे जाते हैं कि उसका शरीर खून में नहा जाता है और जूतों में खून भर जाने से पैर जूतों से चिपक जाते हैं। पाँव जवाब दे जाते हैं। थक कर बैठता है तो ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया जाता है, पत्थरों की वर्षा फिर शुरू हो जाती है।

परन्तु वह काँटे बिछाने वालों और पत्थर मारने वालों को दुआ देता है। उसके सिर पर रोजाना अपनी छत से कूड़ा फैकरने वाली स्त्री जब बीमार हो जाती है तो वह उसकी खेरियत पूछने जाता है। जिन अत्याचारों को 13 घन्टे सहन करना असंभव है, उन्हें वह और उसके साथी निरन्तर 13 वर्ष तक सहन करते हैं

और अन्त में वह सभी अपना घर और वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिये जाते हैं। 13 वर्ष तक यह घोर अत्याचार सहन करने वाला यही कहता रहता है कि लोगो! मैं तुम्हारी ओर ईश्वर का दूत हूँ। अपने देश से 500 किमी० दूर उसे शरण मिलती है, मदीने की बस्ती के लोग उस पर ईमान लाते हैं। यहाँ धीरे—धीरे अनुयायियों की संख्या बढ़ती है। मक्के से उसके जो साथी शरणार्थी बनकर आये थे वह भी अब खुशहाल हो गये हैं। जो मदीने का बेताज बादशाह बन गया है उसकी पत्नियाँ एक दिन यह माँग करती हैं कि हे ईशदूत अब तो हर घर में खुशहाली आ गयी है अब कुछ हमारे गुजारे में भी वृद्धि होनी चाहिये। वह व्यक्ति उत्तर देता है कि उन्हें स्वतन्त्रता है कि दो में से किसी एक का चयन कर लें, उससे अलग होकर खुशहाली का जीवन व्यतीत कर लें या उसके साथ रहकर फ़ाक़ों का।

वतन वाले यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। उस पर सेनाएं इकट्ठा करके चढ़ाईयाँ करते हैं। शान्ति के दूत को शस्त्र उठाने के लिये मजबूर करते हैं। ग़ग्हिर आठ साल मदीने में जीवन बिताने के बाद मक्के की विजय का दिन आता है। जिन शत्रुओं ने उसका जीना दूभर कर दिया था उनके लिये वह सार्वजनिक क्षमा की घोषणा करता है। यहाँ तक कि जिन घरों से उसको और उसके साथियों को निकाला गया था, विजेता के रूप में मक्के में प्रवेश के पश्चात उन्हें भी वापिस नहीं लेता। वह सांसारिक ऐश्वर्यमय जीवन का इच्छुक नहीं है। उसकी तो केवल एक इच्छा है। लोग अपने असली ईश्वर को पहचान ले और अपने स्वामी के सन्देश को स्वीकार कर लें।

23 वर्ष में अरब के कोने—कोने में शान्ति स्थापित हो गयी। समय के क्रूरतम आतंकी शान्ति के दुत बन गये। ऊँटों के चराने वाले कौमों के इमाम (मार्गदर्शक) बन गये। विश्व इतिहास की इस अत्यन्त आश्चर्यजनक क्रान्ति का वह हीरो जिसकी दृष्टि के एक संकेत पर जान न्योछावर करना उसके परवाने अपने जीवन

का उद्देश्य समझते हैं, उसके स्वर्गवास के पश्चात उसकी पत्नी की गवाही सुनिये, “उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी दोनों समय पेट भर रोटी नहीं खायी थी”। वह व्यक्ति जीवन भर यह कहता रहा कि लोगों में झूठ नहीं बोलता, मैं ईश्वर का दूत हूँ।

वह, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसने संसार को आश्चर्यजनक तत्वज्ञान दिया। उसने दुनिया को अमृतपूर्व आर्थिक प्रणाली प्रदान की। उसने नागरिक शास्त्र के वह सिद्धान्त पेश किये जो अद्वितीय हैं। उसने समाज शास्त्र के सफलतम आधार स्थापित किये। उसने अत्यन्त भट्टकी हुई कौम को नैतिकता के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचा दिया। उसने दासता के बाजार में समानता का ऐसा अविश्वसनीय श्वास फूँक दिया कि इतिहास ने ऐसा दृश्य भी देखा जब एक गुलाम ऊँट पर सवार है और समय का हाकिम उसकी नकेल पकड़े पैदल चल रहा है। उसने राजनीति के अद्भुत नमूने प्रस्तुत किये। उसने महान सेनापति के रूप में अपना लोहा मनवाया। उसने सामाजिक क्रान्ति का पवित्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसने च्याय की अद्वितीय प्रणाली स्थापित की। गैर मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिपिबद्ध इतिहास पृष्ठ साक्षी हैं कि यह तमाम गुण उस व्यक्ति में 23 वर्ष की असम्भव अवधि में प्रकट हुये और इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि उसने कभी अपने जीवन में उन पर गर्व नहीं किया बल्कि वह व्यक्ति सदैव यही कहता रहा कि लोगों में जो कुछ कर रहा हूँ ईश्वर के मार्गदर्शन में कर रहा हूँ, तुम सबकी ओर मैं ईश्वर का दूत हूँ।

इन तमाम विशेषताओं से परिपूर्ण उस व्यक्ति ने अपने अनुयायियों के सिर को कभी अपने सम्मान हेतु अपने आगे नहीं झुकने दिया बल्कि उसने तो यह भी पसन्द नहीं किया उसकी सभा में लोग उसके आदर सत्कार के लिए खड़े हों। अपना चित्र बनाने से इसलिये मना कर दिया कि उसके स्वर्गवास के

उपरान्त लोग श्रद्धा में सीमाओं का उल्लंघन कर उसके चित्र की पूजा न करने लगें। उसने सदैव यही कहा कि पूजा के योग्य सिर्फ़ एक ईश्वर एक खुदा है। मैं तो केवल ईश्वर का दूत एवं दास हूँ।

क्या इन 23 वर्षों की परिस्थितियों व घटनाओं का एक-एक क्षण पुकार-पुकार के गवाही नहीं दे रहा है कि यह किसी झूठे व्यक्ति का जीवन नहीं है? वह अपने दावे में सच्चा था। वह ईश्वर का दूत था। (उन पर शान्ति हो)।

उसकी महानता को तो आप भी स्वीकार करते हैं परन्तु आप यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वह ईश्वर का दूत हो सकता था। आप मानें या न मानें, इसका आपको अधिकार है परन्तु यह सुन लें कि यह परिस्थिति मूलक गवाही (Circumstantial evidence) घटिया गवाही नहीं है। मेरे पास आकर कोई व्यक्ति यह कहे कि वह व्यापारी है, कुछ समय वह मेरे पास रहे और मैं देखूँ कि वह व्यापार के तमाम रहस्यों से परिचित है। उसकी बताई हुई योजनाओं को कार्यान्वित करने से मेरे व्यापार में उन्नति भी हो और वह व्यक्ति मुझसे किसी भी प्रकार के लाभ व बदले का इच्छुक न हो तो मेरे पास यह सन्देह करने का कोई उचित कारण न होगा कि वह व्यापारी नहीं है।

लेकिन अभी रुकें। गवाही केवल परिस्थिति मूलक ही नहीं दस्तावेज़ी सबूत (Documentary evidence) भी विद्यमान हैं। एक नहीं अनेक हैं। उसके आने से पूर्व ही से, शताब्दियों पहले से संसार के अनेकों धर्मों के ग्रन्थ उसके आने की गवाही देते चले आ रहे हैं। यह प्रमाण आज भी मौजूद हैं। यह बाद में क्रमबद्ध किये हुये (Afterthought) नहीं हैं। यह महान गवाहियाँ किसी तरह से घटिया गवाहियाँ नहीं मानी जासकतीं। आप अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि गवाही में प्रस्तुत किये जाने वाले ग्रन्थों को भी आप ईश्वर प्रेषित ग्रन्थ नहीं मानते,

परन्तु इससे गवाही कमज़ोर नहीं होती। वह ईश्वर की ओर से हों या मनुष्यों के बनाये हुये, यह दस्तावेज़ उसके संसार में आने से शताविदियों पहले से भौजूद हैं और यह वास्तविकता उनको अत्यन्त प्रमाणित गवाहों की पंक्ति में खड़ा करती है।

परन्तु आपके पास शक करने का एक कारण बाकी है। उस व्यक्ति का प्रस्तुत किया हुआ कलाम (वाणी) जिसे वह ईश्वर का कलाम कहता था और आप उसे ईश्वर का कलाम मानने को तैयार नहीं हैं। इस कलाम पर आपकी जो शंकाएं हैं उन्हें मैं आपकी अगली आपत्तियों के उत्तर में दूर करने का प्रयास करूँगा।

आपत्ति : कुट्टान भी कम-ज्यादा इसी (वेद जैसी) श्रेणी में आता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह सम्पूर्ण रूप से मुहम्मद (स0) साहब की रचना है या उसमें जो कुछ है वह सब मुहम्मद (स0) साहब का यह कहकर कहा हुआ है कि वह खुदा का कलाम है। तत्कालीन अटब में न कागज़ था न छपाई की व्यवस्था थी। खजूर के पत्तों पर, हड्डियों पर अश्वा झिल्ली के टुकड़ों पर लिखने की प्रथा थी। अतः कुछ तौ, बत्कि शायद अधिकतर कुट्टान सामग्री इस तरह लिखी गई थी। कुछ जो लोगों को कठस्था था उनसे वह सामग्री ली गई। खलीफा हज़रत उमर के ज़माने में कुट्टान की आयतों को संग्रहीत करने की व्यवस्था की गयी। हज़रत अबूबक्र ने यह काम हज़रत (जैद) बिन साबित अज्ञारी के सुपर्द किया जो मुहम्मद (स0) साहब के कुछ समकालीन व्यक्तियों के साथ, जिन्हे सहाबा कहा जाता है, इस काम में जुट गये। यह ऐलान किया गया कि जिस किसी को कोई आयत या आयतें याद हों अश्वा जो आयतें मुहम्मद साहब के कहने पर उन्होंने लिखी हैं वह प्रस्तुत की जायें। यही हुआ था। हट प्रस्तुति के पश्च में दो व्यक्तियों की गवाही ली गई और इस तरह कुट्टान संग्रहीत व पूर्ण किया गया। लोगों की

याददाशत पूर्णतया सही हो, यह ज़ख्ती नहीं है और यही बात गवाही को लेकर है। ऐसे साक्ष्य को अटल व अवाधित मानने का कोई स्वस्थ आधार नहीं है, क्योंकि याददाशत बहरहाल याददाशत है और गवाही आखिर गवाही ही है। पूर्णी सम्भावना वहाँ इस बात की है कि मुहम्मद (स0) साहब ही नहीं, उन व्यक्तियों के मन्त्र्य भी कुट्टान के अन्तर्गत आ गये होंगे जिन्होंने “आयतें” प्रस्तुत की थीं। इस तरह कुट्टान को भी वेद की तरह एक संग्रहीत ग्रन्थ ही कहा जायेगा। अन्य वेवल यह है कि वेद हज़ारों वर्ष में संग्रहीत हुए और कुट्टान कुछ दशशब्दियों में ही।

उत्तर: इस सन्दर्भ में आपकी जानकारी में बहुत सी गलतियों का मिश्रण तो है ही, निष्कर्ष निकालने में भी आप निष्पक्ष नहीं प्रतीत होते।

पहले तो यह संशोधन कर लें कि कुरआन एक ग्रन्थ के रूप में हज़रत अबूबक्र रजिं0 के शासन काल में संग्रहीत किया गया न कि हज़रत उमर (रजिं0) के, जैसा कि आपने लिखा है। हज़रत मुहम्मद स0 के स्वर्गवास के बाद हज़रत अबूबक्र खलीफा चुने गये। वह अपने निधन तक दो वर्ष से कुछ अधिक शासक रहे फिर हज़रत उमर खलीफा हुए। हज़रत उमर के शासन काल में हज़रत अबूबक्र जीवित ही न थे, उन दोनों का आपसी परामर्श कैसे होता, जैसा कि आपने लिखा है!

अब आईये दुबारा इस वास्तविकता पर कि ईशादूत हज़रत मुहम्मद स0 के बाद हज़रत अबूबक्र रजिं0 शासक नियुक्त हुये और इसके बाद ढाई वर्ष से कम समय संसार में रहे। हज़रत उमर रजिं0 के परामर्श पर उन्होंने अपने जीवन काल में कुट्टान को एक ग्रन्थ के रूप में संग्रहीत करने की व्यवस्था की। द्वितीय शासक हज़रत उमर रजिं0 ने इस ग्रन्थ को अपने स्वर्गवास के

समय अपनी सुपुत्री व हज़रत मुहम्मद स0 की पत्नी हज़रत हफ्सा र0 के पास रखवा दिया। इस प्रकार कुरआन की प्रथम संकलित और लिखित प्रतिलिपि ईशदूत हज़रत मुहम्मद स0 के स्वर्गवास के ढाई वर्ष के भीतर सुरक्षित कर ली गयी थी। आप अपनी इस शंका को दूर कर लें कि इसमें कुछ दशाबिद्यों का समय लगा था।

आपको इस बात का भली—भाँति अनुमान होगा कि मुसलमान कुरआन पर आचरण के मामले में कितना ही दिवालिया हो गया हो लेकिन कुरआन व पैगम्बरे—कुरआन से उसकी अद्वा इस चरम सीमा तक पहुँची हुई है कि वह उनके किसी प्रकार के अपमान की संभावना को भी सहन नहीं कर सकता। यह उसे अपने जीवन से भी अधिक प्रिय हैं। जब 1400 वर्ष पश्चात के अधूरे मुसलमान का यह हाल है तो इस की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सहाबा (ह0 मुहम्मद स0 के सत्संगी) जान बूझकर कुरआन में अपने कलाम का भिश्रण कर सकते थे। अनजाने में इसकी कितनी गुंजाइश थी, इसका अन्दाज़ा निम्न से लगायें :

पहले अपनी जानकारी की एक और त्रुटि को सही कर लें। आपने लिखा है कि कुछ या अधिक पुरानी सामग्री विभिन्न चीजों पर लिखी हुई थी और कुछ हिस्से लोगों को कन्ठस्थ थे, जिन्हें एकत्रित करके कुरआन संग्रहीत किया गया। ऐसा नहीं था, बल्कि तमाम कुरआन हजारों लोगों को कन्ठस्थ था और कुरआन की तमाम सामग्री भी विभिन्न वस्तुओं पर लिखी हुई सहाबा के पास मौजूद थी। ह0 मुहम्मद स0 पर जैसे ही कोई आयत अवतरित होती थी आप उसी समय हस्तलेखियों को बुलाकर लिखवा देते थे फिर उनसे पढ़वाकर सुनते थे ताकि कोई त्रुटि नहीं रह जाये। सहाबा (ह0 मुहम्मद स0 के सहचारी) भी इस भाग को उसी समय कन्ठस्थ कर लेते थे। इस प्रकार लिखित रूप में संपूर्ण कुरआन विभिन्न वस्तुओं पर ईशदूत स0 के हस्तलेखियों का लिखा हुआ मौजूद था। बहुत से सहाबा जो

कन्ठस्थ करते थे, उसे अपने पास भी लिखकर रख लेते थे। हज़रत अबूबक्र र0 ने जब कुरआन एकत्रित किया तो वह तमाम सामग्री एकत्रित की जो हज़रत मुहम्मद स0 के हस्तलेखियों ने लिखी थी, दूसरे वह समस्त सामग्री भी एकत्रित की गयी जो सहाबा ने अपने पास लिख रखी थी और तीसरे कुरआन के कंठस्थियों को एकत्रित किया गया। उनमें से भी किसी एक स्रोत पर ही भरोसा नहीं किया गया बल्कि सभी कंठस्थियों के सर्वसम्मत होने के पश्चात भी अगर कोई “आयत” लिखे हुये रूप में उसी समय प्राप्त नहीं हुई तो उसकी उस समय तक तलाश की गई जब तक वह आयत किसी सहाबी के पास लिखित रूप में नहीं मिल गयी। इस प्रकार इन तीनों स्रोतों की आपसी पुष्टि और क्रास चैकिंग ,ब्लैवे बीमापदहृद से वह प्रमाणित ग्रन्थ संग्रहीत हुआ जो हज़रत अबूबक्र रजिरो से द्वितीय ख़लीफ़ा (शासक) हज़रत उमर (रजिरो) को हस्तान्तरित हुआ और जिसे फिर उन्होंने अपने स्वर्गवास के समय अपनी पुत्री हज़रत हफ्सा के पास रखवा दिया था। तृतीय ख़लीफ़ा हज़रत उसमान रजिरो ने उसकी 6 प्रतिलिपियाँ तैयार करवाकर विभिन्न स्थानों पर भेज दीं। इस पूरी कार्यवाही के समय ह0 मुहम्मद स0 के हस्तलेखी जिनको ईश्वर के दूत ने कुरआन बोलकर लिखवाया था, उपस्थित रहे। अब आप बतायें कि कौन सी गुंजाइश किसी एक शब्द के रद्दोबदल की भी बाकी रह जाती है? क्या इस तिहरी क्रास चैकिंग को जिसमें कोई एक कंठस्थी नहीं बल्कि बड़ी संख्या में कंठस्थी शामिल थे, और जो ह0 मुहम्मद स0 के स्वर्गवास के केवल ढाई वर्ष के अन्तराल के अन्दर हुई थी, आप अप्रमाणित कह सकते हैं? क्या ऐसे प्रमाण को अटल मानने का कोई स्वस्थ आधार नहीं है? अगर नहीं तो फिर आखिर किस चीज़ को आप गवाही कहते हैं।

इसके अतिरिक्त किसी सहाबी (सहचारी) का कलाम कुरआन में शामिल हो जाना तो दूर, स्वयं हज़रत मुहम्मद स0 के अपने शब्दों (जिन्हें हदीस कहते हैं) और कुरआन की वर्णनशैली में

इतना स्पष्ट अन्तर है कि अरबी भाषा का साधारण विद्यार्थी भी उसे पहचान सकता है। कुरआन और हदीस की शैली का यह अन्तर इतना स्पष्ट है कि अनुवादों में भी पहचाना जा सकता है।

आप लिखते हैं कि “लोगों की याददाशत पूर्णतया सही हो यह ज़रूरी नहीं है”। अपनी जानकारी के लिए सुन लें कि स्मरण शक्ति की भी लगातार परीक्षा होती रहती थी और यह परीक्षा आज तक जारी है। प्रतिदिन पाँच समय की नमाज़ में कुरआन का कुछ भाग पढ़ना आवश्यक होता है और वर्ष में एक बार रमज़ान के महीने में हर मस्जिद में एक कंठस्थी तरावीह की नमाज़ में पूरा कुरआन ख़त्म करता और दूसरे कंठस्थी उसको सुनते हैं। हज़रत मुहम्मद स0 ने अपने स्वर्गवास से पूर्व रमज़ान के महीने में दो बार कुरआन सुनाया। उसी का यह परिणाम है कि आज संसार के हर उस भाग में जहाँ मुसलमान थोड़ी सी संख्या में भी आबाद हैं, वहाँ कुरआन के कंठस्थी मौजूद हैं और तजुर्बा किया जा सकता है कि संसार के दूर-दूर के भागों से विभिन्न कंठस्थियों को यदि एकत्रित करके कुरआन सुना जाये तो कोई अन्तर न होगा। यही हाल कुरआन के हस्तलिखित तथा छपी हुई प्रतियों का है। इस्लामी शासन के तीसरे ख़लीफा हज़रत उसमान रजिओ ने जो हज़रत मुहम्मद स0 के स्वर्गवास के 12 वर्ष बाद ख़लीफा हुये, उनके विभिन्न देशों में भेजे हुये कुरआन की 6 हस्तलिपियों में से दो प्रतियाँ ताशकन्द व इस्तम्बूल के संग्राहलयों में आज भी मौजूद हैं। इन प्रतियों और संसार के किसी काल के और किसी क्षेत्र के छपे हुये कुरआन में एक अक्षर का भी अन्तर नहीं है। कभी अगर कुरआन की छपाई में अत्यधिक सतर्कता के पश्चात भी छपाई की गलती होती है तो वह तुरन्त पकड़ ली जाती है क्योंकि संसार के हर क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में कंठस्थी मौजूद हैं। जिनकी संख्या लाखों से भी अधिक है। यही कारण है कि अत्यन्त पक्षपाती कुछ लेखकों को छोड़कर यूरोपीय इतिहासकारों की अधिक संख्या इस बात को मानती है कि संसार में आज जो कुरआन मौजूद है

उसका एक-एक अक्षर वही है जिसके हज़रत मुहम्मद स0 ने ईश्वरीय ग्रन्थ होने का दावा किया था।

आपत्ति : कुट्टान में स्थान-स्थान पर हज़रत मुहम्मद स0 को ईश्वर दूत न मानने वालों..... को मार डालने और नष्ट कर देने का आह्वान और दूसरों को लड़ाने की खुदा की इच्छा का वर्णन है।

उत्तर : ऐसा प्रतीत होता है कि आप उन लोगों के प्रचार से प्रभावित हो गये हैं जिन्होंने कुरआन मजीद को या तो पूरा नहीं पढ़ा है या जान बूझ कर कुछ भागों को अनदेखा किया है। पवित्र कुरआन आपके पास है। यदि आपने ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन किया होता तो इतनी भयानक ग़लतफहमी नहीं होती। कुरआन तो अपने अनुयायियों से कहता है कि इन्कार करने वालों से कह दो “.....तुम्हारे लिये तुम्हारा धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म” (109:6)। कुरआन का कथन है कि “...धर्म में जबरदस्ती नहीं की जासकती” (2:256)। इन्सानी जान को अल्लाह ने आदरणीय ठहराया है। कुरआन नेक बन्दों के गुण बयान करते हुये कहता है कि “...वह उस जान को जिसे अल्लाह ने आदरणीय ठहराया है, बिना हक के हलाक नहीं करते और न बलात्कार करते हैं और जो कोई ऐसा करेगा, किये का दण्ड पायेगा” (25:68)। यही सिद्धान्त विस्तार से एक दूसरे स्थान पर देखिये “...जो किसी की हत्या करे, बिना इसके कि उसने किसी की हत्या की हो अथवा पृथ्वी पर उत्पात किया हो, मानो उसने समस्त मानव जाति की हत्या की और जिसने किसी की जान बचाई, मानो उसने सारे मनुष्यों की रक्षा की। इन लोगों के पास हमारे पैग़म्बर स्पष्ट आदेश लेकर आये परन्तु इसके बाद भी इनमें अधिकतर ऐसे हैं जो पृथ्वी पर सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं” (5:32)। युद्ध की आज्ञा कुरआन केवल कुछ विशेष परिस्थितियों ही में देता है “...जिन (आस्तिकों) के विरुद्ध युद्ध

किया जा रहा है उन्हें (अपने बचाव में) युद्ध की अनुमति दी जाती है क्योंकि उन पर अत्याचार हुआ है और ईश्वर उनकी सहायता करने में निस्सन्देह समर्थ है। यह वह लोग हैं जो निर्दोष अपने घरों से निकाले गये थे। उनका अपराध केवल यह था कि ये अल्लाह को अपना पालनहार कहते थे।” (23:39,40)। जब आस्तिकों पर आक्रमण हो तो उत्पात को समाप्त करने के लिए युद्ध की अनुमति है लेकिन युद्ध के समय भी सीमाओं का उल्लंघन न करने का आदेश है। जैसे ही अत्याचारी अपने अत्याचार से रुक जायें और उत्पात से रुक जाने का आश्वासन दें तो युद्ध तुरन्त रोक देने का आदेश है। “...जो लोग उनसे युद्ध करते हैं उनसे इश्य मार्ग में युद्ध करो मगर (युद्ध करने में) सीमाओं का उल्लंघन न करो (अर्थात् तुम अत्याचार पर न उतर आओ) क्योंकि ईश्वर सीमा उल्लंघन करने वालों को पसन्द नहीं करता। इन अत्याचारियों को जहाँ पाओ क़त्ल करो और जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, वहाँ से उन्हें निकाल बाहर करो क्योंकि यह उत्पात हत्या से अधिक बुरा है...तुम उनसे निरन्तर युद्ध किये जाओ यहाँ तक कि उत्पात बाकी न रहे और दीन केवल ईश्वर के लिये हो। परन्तु अगर वह (उत्पात करने और दीन के विषय में तुम पर ज़बरदस्ती करने से) रुक जायें तो यह जान लो कि दण्ड अत्याचारियों के सिवा किसी और के लिये नहीं है” (2:190,191,193)। युद्ध का आदेश अथवा अनुमति केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में है। कुरआन मजीद में युद्ध से सम्बन्धित जितनी आयतें हैं उन्हें भ्रम फैलाने वाले लोग सन्दर्भ से काट देते हैं और केवल वह अंश निकालकर सामने रखते हैं जहाँ युद्ध करो और हत्या करो, के शब्द हैं। जब तक युद्ध थोप न दिया जाये युद्ध से बचने का आदेश है “...यदि वह सन्धि की ओर अग्रसर हो तो तुम भी उनकी ओर झुको और ईश्वर पर विश्वास करो क्योंकि वह सबकी सुनता और जानता है और फिर यदि उनका आशय तुमसे विश्वासघात करने का भी होगा तो (तुम इस संभावना पर सन्धि से न हटना) ईश्वर तुम्हारे लिये पर्याप्त है ...” (8:61,62)। “...और अगर वह तुम्हें छोड़े रहें और

तुमसे झगड़ा न करें और तुम्हारी ओर सन्धि का सन्देश भेजें तो ईश्वर ने उन पर (हाथ उठाने का) तुम्हारे लिये कोई मार्ग नहीं रखा” (4:90)। आप यह कहते हैं कि न मानने वालों को मार डालने और नष्ट करने का आदेश है। इसके विपरीत “...और यदि (युद्ध के वातावरण में) मुशर्रिकीन में से कोई व्यक्ति तुमसे शरण की प्रार्थना करे तो उसको शरण दो यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम सुन समझ ले फिर उसको उसके शान्ति के स्थान पर वापिस पहुँचा दो। ऐसा इस कारण से है कि यह लोग (इस्लाम की) वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं” (9:6)। जब तक युद्ध ज़रूरी न हो जाये कुरआन अपने अनुयायियों को संयम रखने को प्रोत्साहित करता है। विरोधी अगर कष्ट भी पहुँचायें तो बदले की अनुमति होते हुये भी धैर्य रखना उचित है। “...और यदि तुम लोग बदला लेना चाहो तो (अधिक से अधिक) उतना ही बदला लो जितना कष्ट तुम्हें दिया गया है लेकिन अगर धैर्य रखो तो यह संयम् रखने वालों के प्रति बहुत उचित है” (16:126)। “...तुम (विरोधियों की यातनाओं पर), संयम् रखो और तुम्हारा धैर्य तो ईश्वर की ही देन है और यह लोग जो (तुम्हारे विरोध में) षड्यन्त्र रचते हैं उनसे निराश न हो क्योंकि जो लोग परहेज़गारी ग्रहण करते हैं और (जो लोगों के साथ) सद्व्यवहार करते हैं, ईश्वर उनका भित्र है” (16:127,128)। कुरआन आस्तिकों को आदेश देता है कि न्याय का पक्ष शत्रुओं के मामले में भी हाथ से न छुटे “...हे ईमान वालों, अल्लाह के लिये पूर्ण नियमित एवं न्याय के साक्षी बनो और किसी कौम की शत्रुता तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम भी (उसके साथ) अत्याचार करने लगो। न्याय से काम लो क्योंकि यह परहेज़गारी के अत्यन्त समीप है और अल्लाह से डरते रहो ...” (5:8)। कुरआन ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि “...यह लोग जो कुछ (तुम्हारे विषय में) कहते हैं उसे हम ख़ूब जानते हैं और तुम उन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हो। (तुम्हारा कार्य तो यह है कि) जो व्यक्ति हमारे प्रकोप से डरता है उसको कुरआन सुना-सुनाकर समझाते रहो (50:45)। “...तुम उपदेश किये

जाओ तुम्हारा काम सिफ उपदेश देना है तुम उन पर दरोगा तो नहीं हो” (88:21,22)। “...क्या तुम (इस बात के लिये) लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हो कि वह ईमान ले ही आयें” (10:99)। “... (हे ईश दूत) तुम्हारी ज़िम्मेदारी तो केवल (बात को) पहुँचा देना है और हिसाब लेना हमारी ज़िम्मेदारी है” (13:40)। बात पहुँचाने के लिये भी नम्रता से बातचीत करने का आदेश दिया गया है। “.....अपने रब के मार्ग की ओर युक्ति से और अच्छे उपदेश से बुलाओ और उनसे सम्झता से ही तर्क करो ...” (16:125)। कुरआन की इसी युद्ध व शान्ति सम्बन्धी नीति पर ईशदूत (स0) अपने जीवन में पूर्णतया कार्यरत रहे। मक्के से मदीने की दूरी 500 किलोमीटर है लेकिन मक्के के मुशरिकीन (बहुदेव वादियों) से जो तीन युद्ध हुये वह मदीने और उसके आस—पास हुये जबकि मक्के के लोगों ने उन पर आक्रमण किया था। मक्के की विजय के अवसर पर उस समय तक मुशरिकीन के सरदार अबूसुफियान के घर शरण लेने वाले हर शत्रु के लिये क्षमा की घोषणा की गयी। जब इस्लामी सैनिक विजेता के रूप में मक्के में प्रवेश कर रहे थे तो सेना के एक ध्वजारोही ने यह नारा लगाया कि “आज रक्तपात का दिन आ गया है” ईशदूत (स0) का शुभ मुख्यमण्डल क्रोध से तमतमा उठा। आदेश दिया कि नारा लगाने वाले से ध्वज लेकर चलने का सम्मान छीन लिया जाये और आपने इस्लामी सेना को यह नारा दिया कि “आज दया करने का दिन है”

गत 1400 वर्षीय इतिहास में आज तक इस्लामी बहुसंख्यक देशों में गैर मुस्लिम नागरिक शान्ति से रहते आये हैं, वहाँ के प्रशासकों ने कभी उनकी गर्दन उड़ाने के आदेश पारित नहीं किये। दिवाकर साहब, आप भी तो मुस्लिम देशों की यात्रा कर चुके हैं वहाँ आपको प्यार मिला या आपकी गर्दन उड़ायी गयी?डेढ़ हजार साल में संसार के किसी मुस्लिम ज्ञानी या साधारण व्यक्ति को कुरआन में यह उपदेश नजर नहीं आया कि गैर मुस्लिमों की हत्या कर डालो, अब आप उन्हें यह बताना चाह

रहे हैं कि तुम्हें ईश्वर ने हत्या करने का आदेश दिया है?कृपया इस ओर ध्यान दें कि आप क्या कह रहे हैं!

कुरआन ने जिन आवश्यक परिस्थितियों में युद्ध की अनुमति दी है, मैंने संक्षेप में आपके समक्ष रख दी हैं अगर अत्याचार और उत्पात करने वालों से आत्मरक्षा न की जाये तो सम्पूर्ण पृथ्वी अत्याचारियों और आतंकवादियों से भर जायेगी। उसकी वकालत आपका ज़हन करता है तो करे, कुरआन के स्वामी का दृष्टिकोण यह हरगिज नहीं हो सकता।

आपत्ति : भारत और चीन जैसे महान देशों की न किसी किताब का नाम वहाँ (कुरआन में) दिया गया है और न इन देशों में खुदा के ज़रिये भेजे गये पैग़म्बरों का ही ज़िक्र है और इसकी एक ही वजह है कि मुहम्मद (स0) साहब को जितना मालूम था उन्होंने कह दिया और जितना नहीं मालूम था उसके बारे में भीन देहे।

उत्तर : भारत में भेजे गये ईश दूतों और ग्रन्थों का कुरआने पाक में ज़िक्र है। ईश दूत ह0 नूह (अ0) का वेदों व सनातन धर्म के अन्य मान्य ग्रन्थों में प्रायः (महा जलप्लावन वाले) मनु के नाम से उल्लेख है जबकि भविष्य पुराण में उन का असल नाम “न्यूह” बताया गया है। वेदों का कुरआन में “आदि ग्रन्थों” के नाम से उल्लेख है। अगर आप विस्तार से जानने की इच्छा रखते हों तो मेरी लिखी पुस्तक “अगर अब भी न जाये तो” का अध्ययन कर सकते हैं।

आपत्ति : क्या मनुष के साथ-साथ खुदा मनुष की बनाई हुई भाषा का भी मोहताज हो गया है?ऐसी भाषा का जिसमें प्रायः एक ही शब्द के

भिन्न-भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं जिनसे गलत फूटियाँ होती हैं जिनमें बहुत सी त्रुटियाँ होना स्वभाविक ही नहीं अनिवार्य भी है, जो नामुकम्मल है, जिसके लेखन व प्रकाशन में आम तौर से गलतियाँ हो जाती हैं, जिनको सुनकर लिखने में भी गलती होना स्वभाविक है किट यह भी निश्चित है कि सन्देश वाहक या पैग्मट अपनी भाषा में अपने युग के वातावरण दीति-दिवाज, तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों व समस्याओं की अपेक्षा से ही समाज व संसार के समक्ष रखेगा जैसा कि कुटआन में वर्णित शीर्यत में व अन्य विधि विधान व व्यवस्थाओं से व्यष्ट है।

उत्तर : आपके विचार के विपरीत भाषा की इसी सांग्रहिकता में ही कुरआन का वह जबरदस्त चमत्कार है जिसे आप अपनी अगली आपत्तियों के उत्तर में देखेंगे। यह कुरआन की भाषा का चमत्कार है कि उसके शब्द हर काल की बुद्धि, विवेक और विज्ञान का साथ देते रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। यह बात भली-भाँति समझ लीजिये कि कुरआन विज्ञान, गणित, भूगोल, ज्योतिष या अन्य शास्त्रों की तरह का कोई शास्त्र नहीं है। यह मूल रूप से मार्ग दर्शन है। परन्तु कुरआन के इन्हीं सीमित शब्दों में असीमित ज्ञान व आध्यात्म के ख़जाने छिपे हुये हैं जिनमें से कुछ सामने आ चुके हैं और अन्य रहती दुनिया तक प्रकट होते रहेंगे। अपने इस लेख में आगे आने वाली आपत्तियों में आपने एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की है और मालूम किया है कि आपकी माँग अनुसार सूची से सम्बन्धित वर्णन कुरआन में कहाँ हैं। भविष्य में आने वाले समय में इन्कार करने वाले इससे बड़ी सूचियाँ प्रस्तुत करेंगे जो उन वस्तुओं से सम्बन्धित होंगी जिन्हें आज हम नहीं जानते। अगर इन सब वस्तुओं के उल्लेख तथा विद्याओं के मूल सिद्धान्तों पर आधारित आप कोई पुस्तक संकलित करना चाहें तो उसमें इतने कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी उपलब्धि असम्भव होगी और इतनी मोटी पुस्तक

बन जायेगी जिसको पढ़ लेना संसार के किसी भी व्यक्ति के लिये सम्भव न होगा। ईश्वर ने अपना कलाम उन शब्दों में मनुष्यों को दिया कि उन्हीं सीमित शब्दों में हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। उदाहरण के लिये कुरआन की जिन आयतों में निहित वैज्ञानिक सिद्धान्तों को मेरे अगले उत्तरों में आप देखेंगे, कुरआन के उन्हीं शब्दों में स्वर्ग-नरक और प्रलय के अर्थ भी निकलते हैं जो न केवल सत्य हैं वरन् कुरआन की खुशखबरियों व चेतावनियों पर आधारित आह्वान का मूल उद्देश्य हैं। लेकिन उन्हीं शब्दों में संसार में होने वाले घमाकों और पृथ्वी की नैमित्तिक प्रलय का वित्रण और सार्वभौमिक वास्तविकतायें भी हैं। रहा प्रश्न इस बात का कि मनुष्य की भाषा में ईश्वर का कलाम रिकार्ड होने से उसमें नकल आदि की त्रुटियाँ होने की आशंका है तो इसके लिये ईश्वर का यह आश्वासन पर्याप्त है “..इस अनुस्मृति (Reminder) को हमने, हाँ हमीं ने अवतरित किया है और हम ही इसकी सुरक्षा करने वाले हैं” (15:9)। और इस दावे का जीता जागता प्रमाण संसार के लाखों कंठस्थी हैं और संसार के हर क्षेत्र में कुरआन की प्रतियाँ हैं जिनमें परस्पर एक अक्षर का भी अन्तर नहीं है। दावे की सत्यता का प्रमाण सामने देखने के पश्चात भी आपत्ति करना कहाँ तक उचित है?

आपत्ति : कुटआन में बाट-बाट आसमानों का, सात आसमानों का उल्लेख है पर ज़मीन या धरती को एकत्रचन के रूप में कहा गया है और उसकी वजह यह है कि मुहम्मद (स) साहब को यही ज्ञान था कि बस यह धरती ही कुल संसार और शेष आसमान ही आसमान है।

उत्तर : मैं ने गत एक उत्तर में कहा था कि आपने कुरआन का अध्ययन ध्यान पूर्वक नहीं किया परन्तु आपकी इस आपत्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरे से अध्ययन किया ही नहीं है और सुनी सुनाई आपत्तियाँ आपने अपने लेख में उद्धरित कर दी हैं।

कुरआन की पहली ही आयत आपकी इस आपत्ति का हल्कापन स्पष्ट करती है “.....हर प्रकार की प्रशंसा का पात्र अल्लाह ही है जो समस्त संसारों का रब है” (1:1)। कुरआन में अल्लाह को “पूर्वी और पश्चिमों का रब” (70:40)। कहा गया है। आपने अपने लेख में ब्रह्माण्ड के विस्तार का वर्णन किया है। कुरआन इसे इन शब्दों में बयान करता है “...अगर हम उनके लिये ब्रह्माण्ड में कोई द्वार खोल दें और वह उसमें चढ़ते चले जायें तो वह कहेंगे कि हमारी नज़रें मदमयी हो गयीं हैं बल्कि हम पर जैसे जादू ही कर दिया गया है।” (15:14,15)। 1400 वर्ष पूर्व क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता था कि “...हमने ब्रह्माण्ड को अपने सामर्थ्य से रचा है और हम इसको फैलाते जा रहे हैं” (51:47)। यह दृष्टिकोण तो आईन्स्टाइन की सापेक्षतावाद (Theory of Relativity) के बाद प्रस्तुत किया गया है और फिर आधुनिक भौतिक विज्ञान और ज्योतिष के प्रयोगों से यह जानकारी हुई कि सृष्टि लगातार फैलती जा रही है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। आपने एकवचन में प्रयोग होने वाले शब्द “अर्ज़” का उल्लेख किया है जिसका अनुवाद “जमीन” है। “अर्ज़” कुरआन की भाषा में हर नक्षत्र, हर ग्रह या धरती को नहीं कहते। केवल उस प्रकार की धरती को कहते हैं कि जहाँ जीवन लक्षण हो। नक्षत्रों को “नुजूम” और ग्रहों को “कवाकिब” कहा गया है और इनका उल्लेख कुरआन में अनेक स्थानों पर है। कुरआन में इस धरती जैसी सात धरतियों का उल्लेख किया गया है “...अल्लाह वह है जिसने सात आसमान बनाये और उन्हीं की तरह (सात) धरतियाँ भी। इन सब में अल्लाह के आदेश अवतरित होते रहते हैं ताकि तुम जान लो कि प्रत्येक वस्तु अल्लाह के सामर्थ्य से परिसीमित है और यह कि अल्लाह हर वस्तु को अपने ज्ञान से धेरे हुये है” (65:12)। आधुनिक विज्ञान के पास पर्याप्त संकेत आज इस बात के हैं कि इस जैसी अन्य धरतियाँ ब्रह्माण्ड में हैं जहाँ जीवन पास जाता है। इनकी संख्या विज्ञान अभी निश्चित नहीं कर सका है। खोज जारी है जबकि चौदह सौ वर्ष पूर्व कुरआन ने यहाँ तक बता दिया था कि

ब्रह्माण्ड में न केवल अन्य स्थानों पर भी प्राणी हैं बल्कि इस धरती पर रहने वालों की एक न एक दिन उनसे भेंट भी होगी। इस घटना को भी ईश्वर ने अपनी निशानियों में से एक निशानी के रूप में प्रस्तुत किया है। “...और उस (अल्लाह) की निशानियों में से एक यह है कि उसने आकाशों और पृथ्वी को तो उत्पन्न किया ही, इन दोनों में उसने प्राणी फैला रखे हैं और वह इनको जब चाहे एकत्रित करने में समर्थ है” (42:29) “....कुरआन ने डेढ़ हजार वर्ष पूर्व बताया कि ब्रह्माण्ड के रहस्य खुलते चले जायेंगे और उसे भी ईश्वर की एक निशानी के रूप में पेश किया था “...शीघ्र (वह समय आयेगा जब) हम उनको अपनी निशानियाँ ब्रह्माण्ड में और स्वयं उनके अपने अस्तित्व में दिखायेंगे यहाँ तक कि उन पर स्पष्ट होकर रहेगा कि यह कुरआन सत्य है। (क्या तुम्हारे लिये) तुम्हारे रब का यह गुण पर्याप्त नहीं है कि वह हर वस्तु का (स्वयं) साक्षी है?” (41:53)

आपत्ति : स्वयं चाँद पर पहुँच कर इब्नान ने देख लिया है कि वह भी धरती ही है तथा वहाँ अन्यकार ही अन्यकार है जबकि कुरआन में कहा गया है कि खुदा ने चाँद को उजियाला बनाया है। मुहम्मद (स) साहब को नहीं मालूम था। तथा उस समय मानव ज्ञान जितना था, उतने ज्ञान के आधार पर सूर्य की ईशनी से जो चाँद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है उसी को देखकर यही कहा भी जा सकता था कि चाँद दोशन है।

उत्तर : कुरआन में हर उस स्थान पर जहाँ सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश का वर्णन है दोनों प्रकार के प्रकाश के लिये अलग-अलग शब्द प्रयोग किये गये हैं। सूर्य के लिये “ज़िया” (तीव्र चमकती हुई प्रकाश देने वाली वस्तु), “सिराज” (चिराग), “सिराज़-व्हहाजा” (तेज़ रौशन दिया) और चन्द्रमा के लिये “नूर” और “मुनीर” के शब्द प्रयुक्त हुये हैं। इन शब्दों के अर्थ “रौशनी” के हैं परन्तु “नूर” (ज्योति) के लिये आवश्यक नहीं कि

वह जिस वस्तु में हो वह स्वयं प्रकाश वाली वस्तु हो। उदाहरणतः अगर आप कहें कि कमरा प्रकाशमान है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि कमरा स्वयं प्रकाश देने वाली वस्तु बन गया, बल्कि कमरा किसी और प्रकाश से प्रकाशमान है। यूँ समझिये “सिराज” संज्ञा है जिसका अर्थ है “दीपक” अर्थात् प्रकाश देने वाली चीज़ और “नूर” अर्थात् प्रकाश विशेषण है) इस अन्तर को समझिये और ईश्वर की प्रशंसा कीजिये जिसने कुरआन में किसी जगह चन्द्रमा के लिए “दीपक” शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह भी दृष्टिगत रहे कि सूर्य के लिये “नूर” का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि “नूर” उस प्रकाश को कहते हैं जिसमें ठण्डक का अनुभव हो। सूर्य एक दहकता हुआ गोला है जबकि चन्द्रमा में आग नहीं है। क्या इस अन्तर का ध्यान रखना और उसमें किसी स्थान पर गलती न होना भी चौदह सौ वर्ष पूर्व के मनुष्य का काम था? यह भी सुन लें कि इस प्रकार की शंकाएं जिन मस्तिष्कों में उत्पन्न हो सकती थीं उनके लिए ईश्वर ने अध्याय 71 में अधिक स्पष्ट कर इस आपत्ति का निवारण कर दिया। वहाँ आयत 16 में फरमाया “उस (अल्लाह) ने चाँद बनाया जिसके अन्दर (किसी दूसरे का) प्रकाश है तथा सूर्य को (स्वयं प्रकाशमान) दीपक बनाया।” आयत के अनुवाद से धोखा हो सकता है लेकिन अरबी भाषा जानने वाले के लिये यहाँ अन्तर बिल्कुल स्पष्ट है।

आपत्ति : ऐटमबम, हाइड्रोजन बम, आदि चमत्कारपूर्ण आविष्कारों व उपलब्धियों के बारे में, जिन्हें मानव जीवन की व पृथ्वी की काया पलट दी है (वेद, तीर्त्ते, इन्द्रील व कुटआन आदि में) एक भी शब्द नहीं मिलता, न उनमें हाल ही में हुए भयंकर विश्व युद्धों का कोई संकेत है।

उत्तर : जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं अपने आपको कुरआन पर आप द्वारा की गई आपत्तियों के उत्तरों तक सीमित रखूँगा क्योंकि आपके लेख का असल निशाना वही है — कुरआन में

अगर आप ऐटमबम, हाईड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, हीरोशिमा, या नागासाकी के नाम से तलाश करेंगे तो निश्चय ही निराशा होगी परन्तु मूल संकेत हर वस्तु के मिलते हैं। जब मानव मस्तिष्क की पहुँच उस मुकाम तक भी न हुई थी कि मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त भी किसी चीज़ के जोड़े हो सकते हैं, उस समय कुरआन ने यह नियम दिया कि पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी जोड़ों की व्यवस्था होती है — “पवित्र है वह जिसने हर वस्तु के जोड़े बनाये, चाहे वह पृथ्वी की वनस्पति में से हों या स्वयं उनके अपने अस्तित्व (अर्थात् मानव जाति) में से या उन वस्तुओं में से जिनको यह (अभी तक) जानते ही नहीं हैं” (36:36)। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि प्रत्येक निर्जीव दिखने वाली वस्तु के सबसे सूक्ष्म कण ऐटम में इलैक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़े होते हैं। हर ऐटम के अपने अन्दर निरन्तर गति की एक व्यवस्था होती है। इसका भी संकेत कुरआन ने 1400 वर्ष पूर्व दिया था — “पर्वतों को देखकर तुम यह समझते हो कि यह ठोस और स्थिर है जबकि (उनके कण तो) बादलों की तरह उड़ते फिर रहे हैं यह अल्लाह का चमत्कार है कि (कणों की गति के होने पर भी) उसने हर वस्तु को ठोस व स्थिर कर रखा है। जैसे वह उन वस्तुओं की जानकारी रखता है जिनसे तुम अनभिज्ञ हो, इसी प्रकार जो कुछ तुम करते हो उस सबका भी उसे ज्ञान है।” (27:88)। परमाणु शक्ति का प्रयोग भी मनुष्य करेगा और उससे कितना भयंकर विनाश होगा इसका संकेत दे दिया गया था। — “उन लोगों ने बड़े—बड़े षड्यन्त्र रचे और उनके दांव अल्लाह के नियन्त्रण में हैं। यद्यपि यह प्रयत्न ऐसे थे कि उनसे पर्वत भी उलट जायें।” (14:46) — “क्या वे लोग जो बड़ी—बड़ी योजनायें बनाते रहते हैं इस बात से निश्चिन्त हो गये हैं कि (उनके इन प्रयासों के फलस्वरूप उनकी ओर की पृथ्वी फट जाये) और अल्लाह उन्हें पृथ्वी में समा दे अथवा (उनकी हरकतों के फलस्वरूप) उन पर ऐसी दिशा से प्रकोप आये जिसका उन्हें ज्ञान भी न हो।” (16:45)। उनके परस्पर युद्धों के फलस्वरूप जिस तरह के विनाश होंगे उनमें धमाकों का वर्णन

— “अब यह किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं सिवाये एक भयंकर धमाके के, जो उस वक्त उनको ग्रस्त कर लेगा जब वह लड़ रहे होंगे” (36:49)। ऐटमी ताबकारी (रेडियेशन) का धूँआं जब उनको ढक लेगा और उससे तड़प-तड़प कर और सिसक-सिसक कर लोग मर रहे होंगे उस समय की रिथ्ति का वर्णन — “अब तुम उस दिन की प्रतीक्षा करो जिस दिन वायुमण्डल एक जाने पहचाने धूँए (ताबकारी – रेडियेशन) से भर जायेगा जो लोगों पर छा जायेगा। यह बड़ा पीड़ा दायक प्रकोप होगा (फिर लोग प्रार्थना करेंगे कि) हे हमारे रब हमसे इस प्रकोप को दूर कर दीजिए हम ईमान लाते हैं। वह कब सदुपदेश ग्रहण करते हैं। हालांकि उनके पास ईश दूत आ चुका था फिर ये लोग उससे मुँह मोड़ते रहे और वही कहते रहे कि यह (व्यक्ति) सिखलाया हुआ है, दीवाना है। हम कुछ समय के लिए इस महामारी को हटा लेंगे तो तुम फिर अपनी प्रथम अवस्था पर लौट आओगे” (44:10 से 15)। इन्कार करने वाले आखिर और क्या देखने के बाद आस्था व्यक्त करेंगे? कुरआन में तो चौदह सौ वर्ष पहले यह भी बता दिया गया था कि इन धमाकों के फलस्वरूप जो विनाश होगा उसके मुजरिम नीली आँखों वाले अर्थात् पश्चिमी देशों के लोग होंगे — “जिस दिन शंखनाद होगा (सूर फूँका जायेगा अर्थात् बड़ा भयंकर धमाका होगा), उस दिन जो मुजरिम हमारे समक्ष उपरिथत किये जायेंगे वह नीली आँखों वाले होंगे” (20:102)। दिवाकर साहब, स्वयं निष्पक्ष होकर विचार कीजिए। क्या यह चौदह सौ वर्ष पूर्व के किसी मनुष्य का कथन है?

आपत्ति : कुरआन में चन्द्रमा पर मानव पदार्पण का और अन्तरिक्ष में खोज की उपलब्धियों का वर्णन नहीं है।

उत्तर : यह वर्णन भी देख लीजिए — “हे जिनों और मनुष्यों की टोलियो! अगर तुम समझते हो कि आकाश और पृथ्वी के व्यासों (Diameters) (संकेत है, गुरुत्वाकर्षण की सीमा की ओर व

पृथ्वी व अन्य ग्रहों के गोल होने की ओर भी) में से गुजर कर पार निकल सकते हो तो ऐसा कर देखो (अतिरिक्त) बल (Force) के प्रयोग के बिना नहीं कर सकोगे। अब तुम अपने प्रभु के किन—किन वरदानों को झुठलाये जाओगे (55:33,34)। शक्ति तथा वेग (Force and Velocity) के नियमों पर आधारित उपकरणों की सहायता से एक दिन पृथ्वी व अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में से गुजरना सम्भव होगा, यह संकेत कुरआन कर चुका था। उस काल में जो वाहन मौजूद थे उनके अतिरिक्त अन्य वाहनों की खोज होगी, यह भी कुरआन ने बता दिया था — “अल्लाह ने घोड़े, खच्वर, गधे, तुम्हारे वाहन और शोभा के लिये उत्पन्न किये और वह (इनके अतिरिक्त ऐसे वाहन) उत्पन्न करेगा जिनका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है” (16:8)। इन वाहनों पर सवार होकर चन्द्रमा पर पहुँचने का वर्णन देखिये — “पूर्ण हो जाने वाला चन्द्रमा गवाह है कि तुम अवश्य इस धरती से दूसरी धरती तक सवारी पर सवार होकर जाओगे। (यह चमत्कार देख लेने के पश्चात) फिर इन्हें अब क्या हो गया कि ईमान नहीं लाते!” (84:18,19,20)। अन्तरिक्ष विज्ञान अनुसंधान (Space Research) ने वर्तमान में जो कुछ सिद्ध किया है तथा जिसका वर्णन 1500 वर्ष पूर्व किसी मनुष्य की जबान से संभव ही नहीं था उसे कुरआन की ज़बान में सुनिये — “सूर्य चन्द्रमा को अपनी ओर खींच नहीं सकता और न दिन रात से आगे निकल सकता है। यह सब एक कक्षा (Orbits) में अपनी गति के साथ चल रहे हैं” (36:40)। दिन के रात से आगे निकलने के शब्द देखिये, पृथ्वी से उँचाई पर जाकर देखा जाये तो इस दृश्य का इन्हीं शब्दों में उल्लेख किया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयत में “यसबहून” शब्द है जिसका अर्थ है कि वह अपनी गति के साथ चल रहे हैं अर्थात् आयत में बता दिया गया कि सूर्य चन्द्रमा और पृथ्वी अपने—अपने धुरे (Axis) पर घूम रहे हैं और इस गति के साथ—साथ अपनी—अपनी कक्षाओं (Orbits) में भी घूम रहे हैं। बीसवीं शताब्दी में आकर विज्ञान ने बताया कि सूर्य अपने धुरे

(Axis) पर एक चक्कर 25 दिन में पूरा करता है और अपनी कक्षा (Orbits) में 125 मील प्रति सेकंण्ड (7,20,000 कि. मी. प्रति घन्टे) की गति से चलते हुये एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध ने अब यह बताया है कि सूर्य व चन्द्रमा की जीवन अवधि एक दिन समाप्त हो जायेगी और यह कि सूर्य एक विशेष दिशा में भी बहा चला जा रहा है। आज विज्ञान ने उस स्थान को निश्चित भी कर दिया है जहाँ सूर्य जाकर समाप्त होगा। उसे सोलर एपेक्स (Solar Apex) का नाम दिया गया है और सूर्य उसकी ओर 12 मील प्रति सेकंण्ड की गति से बढ़ रहा है। अब ज़रा बीसवीं शताब्दी के इन अनुसंधानों को कुरआन की दो आयतों में देखें — “क्या तुमने इस पर दृष्टि नहीं डाली कि अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में प्रवेश करता रहता है। सूर्य और चन्द्रमा को काम में लगा रखा है। हर एक, एक निश्चित काल तक ही चलेगा (और जब अल्लाह ऐसा सर्वशक्तिमान और सर्व ज्ञानी है तो) अल्लाह तुम्हारे सारे कर्मों की जानकारी भी रखता है” (31:29)। इस आयत में एक निश्चित समय तक सूर्य और चन्द्रमा की जीवन अवधि का उल्लेख किया गया है और अब सूर्य के एक विशिष्ट स्थान की ओर खिसकने का वर्णन — “और एक निशानी यह भी है कि सूर्य अपने लक्ष्य की ओर चला जा रहा है। यह एक अथाह ज्ञान वाले (अल्लाह) का निश्चित किया हुआ हिसाब है” (36:38)। यह आकाश गंगा, सौर मण्डल तथा पृथ्वी व आकाश कैसे उत्पन्न हुए इस सम्बन्ध में कुरआन ने संकेत दिया था — “फिर उसने (ईश्वर) अन्तरिक्ष की ओर ध्यान किया और वह पहले धूँआ (Gaseous Mass) था।” (41:14) — “क्या इन्कार करने वाले नहीं देखते कि आकाश और पृथ्वी प्रारम्भ में एक देह थे फिर हमने उन्हें अलग—अलग छिटकाया और हर जीव की उत्पत्ति का आधार पानी को बनाया? क्या अब भी वह ईमान नहीं लायेंगे?” (21:30)। उपरोक्त दोनों आयतें नेब्यूला (Nebula) और बिंग—बैंग सिद्धान्त (Big-Bang Theory) की ओर संकेत करती हैं। यह भी विशेष रूप से नोट कर लें कि इन सब आयतों

में ईश्वर ने इन्कार करने वालों को ईमान लाने का निर्देश यह कहरे हुये दिया है कि हमारे इन चमत्कारों को देखकर भी तुम ईमान क्यों नहीं लाते। चौदह सौ वर्ष पूर्व यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य जीवन के अनुभवों पर आधारित साधारण सी बात कविता के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता तो उसमें यह चुनौती न होती कि यह साधारण बातें नहीं, वरन् ईश्वर का वह महान चमत्कार है जिन्हें देखकर तुम्हें ईमान लाना ही चाहिए। ईश्वर ने कुरआने करीम में फरमाया है — “आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है, उसे हमने तुम्हारे अधीन कर दिया है और इस तथ्य में उन लोगों के लिये निशानियाँ हैं जो विन्तन करते हैं” (45:13)।

आपके लेख में एक पैराग्राफ़ है जिसका शीर्षक है — “भविष्य वाणी”। उसमें आपने जिन बहुत सी वस्तुओं का कुरआन में भविष्यवाणी के रूप में मौजूद न होने का दावा किया था उनमें से अधिकतर को उपरोक्त कुछ उत्तरों में दर्शाया जा चुका है। पृथ्वी व आकाश के दृश्यों की भविष्यवाणियों के विषय में दो उदाहरण और देख लें परन्तु यह भी समझ लें कि शब्द भविष्यवाणी इस अर्थ में है कि कुरआन के अवतरण के समय में मनुष्य इनसे परिचित नहीं थे वरना यह वास्तविकताएं तो उस समय भी विद्यमान थीं — “और वही है जिसने दो परस्पर मिले हुये दरिया बहाये। एक का पानी भीठा और खुशगवार है, दूसरे का खारी और कड़वा। इन दोनों के मध्य उसने एक अवरोध (Barrier) रखा है। एक अवरोध जो उन्हें गडमड होने से रोके हुए है” (25:53)। — “उस (अल्लाह) ने दो समुद्रों/दरियाओं को जारी किया जो कि परस्पर मिल कर चल रहे हैं फिर भी उनके मध्य एक ऐसा अवरोध है कि एक का जल दूसरे पर चढ़ ही नहीं सकता। तो तुम अपने प्रभु के किस—किस वरदान को झुठलाओगे। उनमें से (लोग) मौती तथा मूँगें निकालेंगे” (55:19 से 21)। बर्मा से चटगाँव तक दो दरियाओं के सैकड़ों मील तक मिल कर बहने का दृश्य देखा जा सकता है। इस विशाल यात्रा में दोनों का जल बिल्कुल अलग—अलग दिखाई देता है दोनों के मध्य एक धारी चली गई है जिसके एक ओर भीठा तथा दूसरी

ओर खारा जल है। अमेरिका की मिसीसीपी (Mississippi) और चीन के यांग जे (Yang-Tse) नदियों के समुद्र में गिरने के स्थान पर इस दृश्य का दर्शन किया जा सकता है जबकि एक लम्बी दूरी तक इनका भीठा जल समुद्र के खारे जल में भिश्रित, डपगढ़ नहीं होता। गंगा व जमुना के संगम पर मीलों तक देखा जा सकता है कि एक ओर नीली और एक ओर पीले जल की धाराएं साथ-साथ चली जा रही हैं और दोनों एक-दूसरे में नहीं मिलतीं। यह तो है ही लेकिन कुरआन में यहाँ के लिये यह भी भविष्यवाणी है कि उनमें से भोतियों और मूँगों का धन निकाला जायेगा। भारत की सरकार ने अभी इस ओर ध्यान नहीं दिया है जब यह धन इन नदियों से निकाला जायेगा तो कुरआन का यह चमत्कार भी लोग देखेंगे। अरब से हजारों मील दूर नदियों और सागर की इन गतियों (Behaviours) को भी क्या रेगिस्तान के पिछड़े क्षेत्र का रहने वाला नागरिक अब से चौदह सौ वर्ष पूर्व बयान कर सकता था?

इसी प्रकार समुद्र विज्ञान (Oceanology) के विशेषज्ञों ने बताया कि सारे समुद्रों के परस्पर मिले होने के बावजूद उनके पानी का रंग ही नहीं, तापमान, घनत्व, नमक की मात्रा और सूक्ष्म जीवन सभी एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न हैं मानो उनके बीच कोई अद्वय दीवार है।

आपत्ति : प्रत्येक धर्म या मज़हब ने अपने-अपने संदेश वाहक, पैगम्बर या संस्थापक को आखिरी कहा है। हद यह है कि अनीश्वरवादी, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में भी अपने तीर्थकर व बुद्ध को अन्तिम बताकर आगे के लिए तीर्थकरत्व व बौद्धत्व का दरवाज़ा बन्द कर दिया।

उत्तर : न केवल यह कि इस्लाम के मूल तत्वों के विषय में आपको अभी और अधिक जानकारी की आवश्यकता है, बल्कि अन्य धर्मों के सम्बन्ध में भी आपकी जानकारी में कमी है। खूब समझ लीजिये कि हज़रत मुहम्मद स० साहब इस्लाम के संस्थापक हरगिज़ नहीं थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी यह

दावा नहीं किया कि वह कोई नया धर्म प्रस्तुत कर रहे हैं। कुरआन ने कभी किसी एक स्थान पर भी यह नहीं कहा कि हज़रत मुहम्मद स० के द्वारा ईश्वर किसी नये धर्म की स्थापना कर रहा है। पृथ्वी पर इस्लाम धर्म के पहले पैगम्बर हज़रत आदम अ० थे जो संसार के पहले इन्सान थे। कुरआन की शिक्षा के अनुसार जब-जब संसार में बिगाड़ पैदा हुये और मानव, इस्लाम की वास्तविक शिक्षाओं से हटे तो ईश्वर ने अपने सन्देशवाहक, मार्ग-दर्शन हेतु संसार में भेजे। ईश दूतत्व के इसी क्रम में अन्तिम दूत हज़रत मुहम्मद स० थे जो किसी नये धर्म के संस्थापक नहीं थे वरन् उसी धर्म को जीवित करने हेतु पधारे थे जिसकी शिक्षाओं कों लोगों ने बिगाड़ दिया था। इसी प्रकार हज़रत ईसा अ० भी किसी नये धर्म के संस्थापक नहीं थे वरन् उनसे पूर्व जो बिगाड़ आ गया था उसको सुधारने हेतु पधारे थे। वर्तमान मती की इन्जील (15:18:19) इसकी साक्षी है कि हज़रत ईसा अ० ने तौरेत के अनुसार, जो उनसे पिछला ग्रन्थ था, आचरण करने का आदेश दिया था। बुद्धमत के अनुसार गौतमबुद्ध पहले बुद्ध न थे अर्थात् वह भी बुद्धमत के संस्थापक नहीं थे। श्री महावीर पहले तीर्थकर नहीं थे वरन् उनके अनुसार उनका धर्म वही था जो पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी का था और वैदिक धर्म का मामला तो बिल्कुल स्पष्ट है। यद्यपि पहले दूत का नाम वहाँ गुम हो चुका है परन्तु बाद में आने वाले बहुत से व्यक्तियों को हिन्दू धर्म का स्तम्भ माना जाता है। इस प्रकार पहले तो आप यह शंका दूर कर लें कि हर धर्म ने अपने संस्थापक को अन्तिम संदेशवाहक माना है। (असल में संदेशवाहक के लिए संस्थापक शब्द ही गलत है। धर्म का संस्थापक ईश्वर है न कि मानव। ईशद्वृत ईश्वरीय धर्म को स्थापित करने के लिये आते थे।)

अब आईये आपत्ति के दूसरे अंश की ओर वह यह है कि हर धर्म ने अपने किसी संदेश वाहक को अन्तिम माना है। आपका

यह दावा भी भ्रम पर आधारित है। सबसे पहले वैदिक धर्म को लें — वेदों ने अपने एक महान् दूत का नाम “अग्नि” बताया था — “हम अग्नि को दूत (ऐग्म्बर) चुनते हैं” (ऋग्वेद 1:12:1)। 7 जुलाई 1990 के सहकारी युग में डा० ऋषि चतुर्वेदी ने इस मंत्र पर टिप्पणी करते हुये कहा कि “अग्नि” इस मंत्र में किसी मनुष्य को नहीं बल्कि आग को ही अलंकारिक रूप में दूत कहा गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि ऋग्वेद (1:31:15) में साफ़—साफ़ अग्नि को “नर” अर्थात् “मनुष्य” बताया गया है। फिर ऋग्वेद (3:29:11) में कहा गया है कि अग्नि का एक नाम “नराशंस” है वह “नराशंस” नाम से ही संसार में आयेंगे। शब्द “नराशंस” का अनुवाद “प्रशंसा योग्य मनुष्य” अर्थात् “मोहम्मद” होता है। फिर अथर्ववेद (20:127:1 से 3) में साफ़—साफ़ कह दिया गया कि नराशंस के आने पर उनकी बहुत प्रशंसा होगी, ऊँट उनकी सवारी होगी, उनकी कई पत्नियाँ होंगी। फिर उस समय के मक्के की जनसंख्या 60,090 हाना, अलंकृत भाषा में हव्या (इथोपिया) देश में शरण लेने वालों की संख्या 100 होना, 10 जन्नती सत्संगियों (अशरा मुबशिशरा) का संकेत, बदर के युद्ध में विजयी होकर लौटने वालों की संख्या 300 तथा मक्के की विजय के समय इस्लामी सेना की संख्या 10,000 होने का भी वर्णन किया गया है। वेद मन्त्रों का यह अनुवाद प्राचीन अनुवादकों पण्डित राजाराम और पण्डित खेमकरण के अनुवादों पर आधारित है। वर्तमान में चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर पण्डित वेद प्रकाश उपाध्याय ने यह सारी व्याख्यायें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी हैं। श्री ऋषि कुमार चतुर्वेदी ने हमारे इस अनुवाद को अस्वीकार करते हुये जो अनुवाद लिखा है वह शब्दों का ऐसा वागजाल है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार आप देखें कि वेदों ने अपने अवतरण काल के बहुत बाद नराशंस नाम के एक दूत के आने की भविष्यवाणी की थी और वेद लाने वाले अज्ञातऋषि को अन्तिम नहीं कहा गया था। गीता (4:7) और श्रीमद् भागवत महापुराण (9:24:56) में यह धारणा अंकित है कि जब—जब पृथ्वी पर धर्म में विगड़ पैदा हो जाता है तथा दुष्कर्म बढ़ जाते हैं तब अवतार संसार में

आते हैं (पौराणिक काल के ग्रन्थों में दूत के बजाये अवतार की धारणा है)।

यहूदियों की मौजूदा तौरेत और ईसाईयों की वर्तमान इन्जीलों में भी हज़रत मूसा और हज़रत ईसा को अन्तिम दूत नहीं कहा गया है। दोनों में स्पष्ट रूप से बाद के किसी काल में आने वाले एक दूत के आने के संकेत दिये गये हैं। इन्जील में इसको फारक्लीत (Paraclete or Periclytos) कहा गया है जिसका अनुवाद है “प्रशंसा योग्य” अथवा “मुहम्मद”। तौरेत व इन्जील के उदाहरण आपने विस्तार से मेरी पुस्तक “कितने दूर—कितने पास” में देखे होंगे, इसलिये तफसीलात छोड़ रहा हूँ। हालाँकि वेदों के दृष्टांत भी उक्त पुस्तक में हैं परन्तु क्योंकि डा० ऋषि कुमार चतुर्वेदी ने इस पर आपत्तियाँ की थीं अतः संक्षेप में ऊपर उसका पुनरोल्लेख कर दिया। गौतम बुद्ध ने भी स्वयं को अन्तिम “बुद्ध” नहीं कहा था। जब बुद्ध के शिष्य “आनन्द” ने प्रश्न किया, “आपके जाने के बाद कौन मार्ग—दर्शन करेगा?” बुद्ध ने उत्तर दिया, “मैं पृथ्वी पर आने वाला न तो पहला बुद्ध हूँ और न अन्तिम हूँगा। अपने समय में पृथ्वी पर एक और बुद्ध आयेगा वह पवित्र, अति बुद्धिमानी होगा। शुभ सृष्टि का ज्ञाता, मानव जाति का अद्वितीय नेता, फरिश्तों और अनित्य मनुष्यों का गुरु होगा। मैंने तुम्हें जो सत्य बातें बताई हैं वह तुम्हें बतायेगा। वह ऐसे धर्म का प्रचार करेगा जिसका प्रारम्भ भी उज्जवल होगा मध्य भी उज्जवल होगा और अन्त भी उज्जवल होगा। वह ऐसा धार्मिक जीवन व्यतीत करेगा जो पूर्ण व पवित्र होगा, जैसा कि मेरा ढंग है। उसके शिष्य हज़ारों होंगे जबकि मेरे सैकड़ों ही हैं। आनन्द ने पूछा, “हम उसे कैसे पहचानें?” बुद्ध ने उत्तर दिया, “वह मैत्रेय (अर्थात् कृपालु) के नाम से जाना जायेगा...”

आप विचार करें कि गौतम बुद्ध ने भी अपने आपको अन्तिम नहीं कहा बल्कि बाद के किसी काल में आने वाले मैत्रेय (कृपालु) की भविष्यवाणी की थी। यह और सुन लें कि कुरआन में हज़रत मुहम्मद स0 को “रहमतुल्लिल आलमीन” (सभी संसारों के लिए

कृपा का सूत्रधार) कहा गया है। पारसियों के दूत ज़रथुस्त्र के विषय में उनके पवित्र ग्रन्थ “अवेस्ता” में लिखा है कि ईश्वर ने कहा, “जैसे ज़रथुस्त्र के मार्ग पर चल कर उसके अनुयायी वैभव की ओटी पर पहुँचे इसी तरह भविष्य में एक समय में ईश्वर को मानने वाली एक जाति होगी जो संसार और उसके धर्मों को एक नया जीवन प्रदान करेगी और जो दूत की सहायता के लिये खतरनाक युद्धों में खड़ी होगी।” आगे इस दूत का नाम बताते हुये कहा, “जिसका नाम विजयी स्वेशियान्ट (Soeshyant) होगा और जिसका नाम “आस्तवत ईरेटा” (Astvat-Ereta) होगा वह स्वेशियान्ट (कृपा) होगा क्योंकि समस्त संसार को उससे लाभ पहुँचेगा और वह आस्तवत ईरेटा (जगाने वाला) होगा क्योंकि जीवित मनुष्यों के रूप में वह मनुष्यों के उस विनाश के विरुद्ध खड़ा होगा जो मूर्ति पूजकों और मजदानियों की बुराईयों से फैलेगा (Farvardin Yasht, 25-29, Quoted By A. H. Vidyarthi in Mohammad in Parsi Scriptures P:18)।

इस्लाम में अन्तिम दूत की धारणा के अतिरिक्त तमाम धर्मों में केवल जैन धर्म के अनुयायी यह धारणा रखते हैं कि श्री महावीर अन्तिम तीर्थकर थे परन्तु वहाँ भी यह दावा केवल जैनियों का है, स्वयं श्री महावीर के अपने शब्दों में उनके अन्तिम होने का दावा हमें नहीं मिलता।

इस्लाम संसार का ऐसा एकमात्र धर्म है जिसको पूर्ण करने वाले हज़रत मुहम्मद स० ने अन्तिम दूत होने की घोषणा की। आप उन्हें ईश्वर का अन्तिम दूत मानें या न मानें, परन्तु यह हरणिज नहीं कहा जा सकता कि हर संदेशवाहक ने अन्तिम संदेष्टा होने की घोषणा की थी।

आपत्ति : ईश्वर या खुदा के सर्व-शक्तिसम्पन्न या कादिरे कुल होने की जो धारणा या आद्या है उससे पैगम्बर, अवतार या संदेशवाहक को अन्तिम मानने की आद्या की कोई संगति नहीं है। खुदा को एक तरफ तो हम कादिरे कुल कहें और दाथ ही यह कहें कि अब अनज्ञ काल तक ब्रह्माण्ड में विष्णु असंख्य दुनियाओं में किटी भी दुनिया में चाहे कुछ हो जाये, कितना

ही अनर्थ हो जाये, कितने ही पाप व अत्याचार हों, वह पैगम्बर न भेजने के लिये वचनबद्ध है। यह पूर्वापद विदेश नहीं तो और क्या है? प्रकाटान्ट द्वे इस माव्यता का अर्थ यह है कि अब खुदा में अपना पैगम्बर भेजने की ताक़त नहीं रही है ... हट प्राणी का अधिकार है कि अपना सन्देश भेजने के लिये किटी पत्रवाहक के सुपुर्द यह काम कर दे पर खुदा को अब यह हक् भी नहीं रह गया है।

उत्तर : अपनी आपत्ति की अन्तिम पंक्ति में जो कुछ आपने कहा है उसका अर्थ यह निकलता है कि खुदा को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपना सन्देश किसी सन्देशवाहक द्वारा भेज सके। सैद्धान्तिक रूप में आप पैगम्बरवाद को स्वीकार कर रहे हैं, जिस पर पिछले पृष्ठों में आपत्ति करते आये हैं। इस्लाम की मान्यताओं में परस्पर विरोध का दोष लगाने के प्रयास में किसी न किसी भी प्रकार हर स्थान पर आपत्ति ढूँढते रहने से आप स्वयं विरोध का शिकार हो गये। या शायद यह वकीलों वाला वह अन्दाज़ है कि, “मीलार्ड मेरा मुवकिल घटना के समय घटनास्थल से सैकड़ों मील दूर था परन्तु यदि वह घटनास्थल पर उपस्थित भी था तो वह अपराधी नहीं है”। आप वकील हैं और आपने इसी अन्दाज़ को अपनाते हुये यह कहना चाहा कि पैगम्बरवाद का तत्व सिरे से ही निराधार है परन्तु अगर ठीक भी है तो अन्तिम दूत तो कोई हो ही नहीं सकता।

आपकी इस आपत्ति में भी आपकी सबसे पहली आपत्ति की तरह “नहीं भेज सकने” के शब्द हैं। ईश्वर अब कोई नया दूत नहीं भेजेगा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह भेज सकने में समर्थ नहीं है। यह आपने नासमझों वाला तर्क प्रस्तुत किया है। रहा यह प्रश्न कि एक विशेष समय तक ईशदूतों के आने के पश्चात फिर दूतों के आने का क्रम क्यों रोक दिया गया और अब कोई नया दूत क्यों नहीं आयेगा तो इसका उत्तर निम्नलिखित है

हजरत मुहम्मद स0 एसे एकमात्र दूत हैं जो आधुनिक ऐतिहासिक काल में संसार में पधारे। उनसे पूर्व आने वाले सभी दूत व मार्गदर्शक ऐसे काल में दूत बनाये गये थे जो ऐतिहासिक युग नहीं था और इसलिये उनके जीवन के सम्पूर्ण हालात भी अंधकारमय हैं और उनकी पहुँचाई हुई ईशवाणी भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रह सकी। इन्जील के विषय में सारे ईसाई शोधकर्ता सहमत हैं कि मौजूदा इन्जीलों अक्षरशः उन शब्दों में मौजूद नहीं हैं जो हजरत ईसा के मुख से निकले थे। यही दशा तौरेत की भी है। गौतम बुद्ध और श्री महावीर के अपने शब्दों में रचित कोई साहित्य संसार में विद्यमान नहीं है। बुद्ध के जो उपदेश संसार के विभिन्न भागों में मिलते हैं उनमें परस्पर बहुत विरोध है। वेदों के विषय में बहुत से हिन्दू विद्वान् स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में उपलब्ध चार वेद अक्षरशः वह वेद नहीं हैं जो पहले कभी एक वेद था और स्मरण शक्तियों में सुरक्षित था। यह दावा केवल कुरआन के विषय में पूरे विश्वास के साथ किया जा सकता है और आसानी के साथ प्रमाणित किया जा सकता है कि वह अक्षरशः वही कुरआन है जो हजरत मुहम्मद स0 ने सुनाया था और हजरत मुहम्मद स0 संसार के वह अकेले दूत हैं जिनके जीवन की एक-एक घटना जन्म से लेकर स्वर्गवास तक रिकार्ड है। उस काल में जिन लोगों को उन्हें दूत नहीं मानना था, उन्होंने उनको बचपन से अपने सम्मुख बड़ा होते देखा और उनके आर्दश जीवन का स्वयं अवलोकन किया, तब भी उनके दूतत्व पर आस्था व्यक्त नहीं की। इस प्रकार अगर हजरत मुहम्मद स0 या कोई और दूत स्वयं भी आज आस्था न रखने वालों से यह कहता कि मैं ईशदूत हूँ तो वह अस्वीकार ही करते। दूत के आने का उद्देश्य यह नहीं होता कि वह आकर सबको आस्था रखने पर मजबूर कर देगा बल्कि कलाम (ईशवाणी) के साथ दूत की उपस्थिति का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि वह कलाम के अनुसार स्वयं प्रत्यक्ष रूप में स्वयं आर्दश बनकर दिखा दे। अब जबकि कलाम भी सुरक्षित है और दूत के प्रत्यक्ष जीवन का एक-एक क्षण भी रिकार्ड में है, दूत के

आने की आवश्यकता अब नहीं रही।

आपत्ति : असंघ्य सौर जगत हैं और इस सौर जगत की हकीकत महासागर में एक बूँद की हकीकत से ज्यादा नहीं, फिर इस सौर जगत में भी इस पृथ्वी की कोई हैसियत नहीं है और इस पृथ्वी में अटब जैसे छोटे से देश की हैसियत नहीं है। प्रश्न यह है कि ... उन्होंने (अल्लाह ने) अटब में ऐसे कौन से गुण देखे कि समस्त ब्रह्माण्ड को ताक पर रख कर अटब को एक ऐसा पैगम्बर और एक ऐसी किताब दे दी कि अब अनन्तकाल के लिये समस्त ब्रह्माण्ड इस नेयमत से विचित हो गया।

उत्तर : अरब और गैर अरब का विवाद आप कहाँ ले बैठे! इस्लाम का सन्देश सारी पृथ्वी और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के बौद्धिक प्राणियों के लिये है। जब मनुष्य ने इतनी उन्नति नहीं की थी कि एक क्षेत्र की सूचनाएँ और रिकार्ड दूसरे क्षेत्र तक पहुँचा सके तो हर क्षेत्र के लिये अलग-अलग दूत भेजे जाते थे। यह दूरियाँ सिमट गई तो यह आवश्यकता समाप्त हो गई। एक अन्तिम दूत उस समय में आना था जब यह दूरियाँ समाप्त हो जायें। हालाँकि संसार के अनेक धर्मों के ग्रन्थ "काबे" को संसार का पहला पूजास्थल और धरती की नामि मानते हैं और इस दृष्टिकोण से उस दूत के जन्म का सम्बन्ध वहाँ होना स्वाभाविक ही था परन्तु इस समय इस वाद-विवाद में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि मक्का ही क्यों। यह समझें कि वह संसार के किसी भी भाग में अवतरित हो सकता था, अरब में हो गया तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। क्या अगर वह भारतवर्ष में होते तो आप उन पर ईमान लाते? प्रश्न उनके अरब या अमेरिका या जापान में जन्म लेने का नहीं होना चाहिये। वह अरब के अतिरिक्त कहीं और पैदा हुये होते तब भी उनकी शिक्षाएँ आसानी के साथ हर किसी तक पहुँच जातीं जिस तरह संचार व्यवस्था की उन्नति के इस काल में हम तक पहुँच चुकी हैं। परखने की वास्तविक चीज़ यह है कि उनका पैगम्बरी का

इतने आगे निकल चुके हैं कि अपने संकेत (Signals) भी भेज रहे हैं जिन्हें हम अभी समझ (Decode) नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन प्राणियों के धरती पर आकर वापस जाते रहने की सम्भावनाओं का नकारा नहीं जा रहा है। निष्कर्ष यह कि ऐसी कोई जाति जहाँ कहीं पाई जाती है वह हमारी अपेक्षा अधिक विकसित हो सकती है। सम्भव है कि उसके पास ऐसे साधन हों कि हमारे रिकार्ड वह अपने यहाँ स्थानान्तरित कर सकते हों। जब तक उनसे परस्पर वार्तालाप का समय न आ जाये यह प्रश्न उठाना अभी अर्थहीन है कि अन्तिम दूत हज़रत मुहम्मद स0 उस जाति के लिये अन्तिम कैसे हुए, परन्तु यह भी स्पष्ट रहे कि इस प्रश्न को उस समय तक उठा रखने से इस्लाम का दावा ग़लत सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा जैसे बहुत से कुरआनी वक्तव्यों की महानता अब बीसवीं शताब्दी में आकर ही खुल सकी है उसी प्रकार कुरआनी चमत्कार का यह पहलू किसी और समय में सामने आयेगा।

आपत्ति : मैं जानता हूँ कि धर्मग्रन्थों में समानताएँ बत्कि अधिकतर समानताएँ ही हैं। पट प्रश्न उस शेष का है जो समान नहीं है जो समानताओं वाले बहु भाग पट आचादित होकर उसको निष्क्रिय बना बैठा है... जब तक इस समस्या को नहीं समझा जायेगा उससे नहीं निपटा जायेगा अथवा उसे हल नहीं किया जायेगा, समानता का लाख दावा कीजिए, प्रचार कीजिए उससे कुछ ठोस और अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है।

उत्तर : आपकी आपत्ति के मध्य में मैंने कुछ भाग बिन्दु लगाकर छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ आपके शब्द कठोर हो गये हैं और मैंने उन्हें नकल करना उचित नहीं समझा। आपने उस भाग में यह कहना चाहा है कि हर धर्म के अनुयायी को पहले अपनी धार्मिक पुस्तक के अपरिवर्तनीय होने की मान्यता को छोड़ना पड़ेगा वरना संभाव के खोखले दावे करने से कुछ प्राप्त नहीं

दावा सच्चा था या नहीं और उनका लाया हुआ कलाम अल्लाह का कलाम है या नहीं और इन प्रश्नों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उनके जीवन काल में ही उन पर बहुत से अरब वारी ईमान नहीं लाये थे। गौतम बुद्ध भारतवर्ष में जन्मे परन्तु उनके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में होते हुये भी भारत वर्ष में बुद्धमत के मानने वाले नाम मात्र हैं। यदि दूत को अस्वीकार करना ही है तो कीजिए। बहुत से लोग करते आ रहे हैं। परन्तु यह प्रश्न अर्थहीन है कि वह अरब में क्यों पैदा हुये।

रहा प्रश्न इस बात का क्या वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के लिये अन्तिम दूत हैं, तो इस्लाम इसका उत्तर हाँ में देता है। अगर आप पूछें कि अरब में उनके उत्पन्न होने के पश्चात सन्देश उन अन्य स्थानों तक कैसे पहुँचता है जिनमें बौद्धिक प्राणी मौजूद हैं तो मैं उत्तर दूँगा कि यह प्रश्न नियत समय से पूर्व है। जब विज्ञान इतनी उन्नति कर जाये कि उन धरतियों के जीवों का हमसे वार्तालाप का सम्बन्ध स्थापित हो जाये तो उस समय यह प्रश्न उचित होगा। इतना निश्चित है कि अगर अन्तिम दूत किसी और धरती पर अवतरित हो गये होते तो यह हमारे साथ अन्याय होता क्योंकि हमने अभी इतनी उन्नति नहीं की है कि वहाँ से उनका सन्देश हम तक पहुँच सके जबकि यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि उन धरतियों के प्राणी हमसे अधिक विकसित नहीं हैं कि इस धरती की घटनाओं को अपने यहाँ रिकार्ड न कर सकें। इसके विपरीत अभी तक वैज्ञानिकों का अनुमान और गुमान यही है कि किसी अन्य ग्रह की कोई अपरिचित जाति हमसे अधिक उन्नत है। हमारे पास बड़ी संख्या में अंतरिक्ष से आने वाले ऐसे रहस्यमय संकेत और सिग्नल (Signals) रिकार्ड किये गये हैं जिनके विषय में अनुमान है कि यह अन्तरिक्ष के प्राणियों ने हमें भेजे हैं। उड़न खटोलों (U.F.Os) में से अधिकतर कथाएँ काल्पनिक होते हुये भी सभी उड़न खटोलों (U.F.Os) को हमारे विज्ञान ने अस्वीकार नहीं किया है। हमारा विज्ञान अभी तक यह भी ज्ञात नहीं कर सका है कि अंतरिक्ष में जिन प्राणियों की किसी और ग्रह पर उपस्थिति की सम्भावनाएँ हैं वह कहाँ हैं जबकि वह

होगा।

दिवाकर साहब, समानताएँ मिल बैठने का आधार होती हैं परन्तु अगर हर धर्म के अनुयायी अपने—अपने धार्मिक ग्रन्थ को परिवर्तनीय समझ कर मिल बैठेंगे तो वह अकबर का “दीने इलाही” तो बनाकर उठ सकते हैं, ईश्वर का भेजा हुआ दीन नहीं ढूँढ सकते। समझाव का यह उद्देश्य हरगिज़ नहीं समझें कि हर धर्म में नैतिक शिक्षाएँ समान पाई जाती हैं तो उनका अधिकतर भाग समान हो गया। धर्म या दीन की मूल मान्यताओं को देखना होगा कि वे कहाँ तक समान हैं। समान मूल्यों पर एकत्र होने वाले दो समूह अगर मिल बैठकर एक दूसरे को समझाने—समझाने का मार्ग अपनाएँ और यह समझाना—समझाना अच्छी और सुलझी भाषा में हो, न कि एक दूसरे को ठेस पहुँचाने वाली भाषा में, तो उसके अच्छे परिणाम अवश्य निकलेंगे। मुझे कहने दीजिये कि आपने समान मूलाधार खोजने के बजाये पहले ही चरण में विरोधी तत्वों में सीधे आपत्ति का मार्ग अपनाया और उससे भी अधिक यह कि इसमें भी वह भाषा प्रयोग की जो आपकी पारंपरिक साहित्यिक भाषा नहीं थी तो उसके फलस्वरूप धृणा के भयानक तूफान उठ खड़े हुये। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हमारे बीच समझाने—समझाने के बेहतर आधार स्थापित होंगे।

हे ईश्वर! मेरा दर्द मेरे धर्म के उन लोगों तक पहुँचा दे जिनसे मेरा खुदा और रसूल के नाते से सम्बन्ध है।

हे ईश्वर! मेरे शब्दों को प्रभावी रूप में दिवाकर राही के मन में उतार दे जिनसे मेरा आदम ३० और हव्वा ३० की सन्तान के नात सम्बन्ध है।

